क्रमांकः **252** / अका. / का.प. / **2014** रायपुर, दिनांक : **02** / **05** / **2014**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की प्रथम* बैठक शुक्रवार, दिनांक 09 मई, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे की विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.03.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।** **(पृ.क्र. 01 से 07 तक)**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.03.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।**

03. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।** **(पृ.क्र. 08 से 12 तक)**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

04. **क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 29.03.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 13 से 16 तक)**

05. **विश्वविद्यालयीन शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 100 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने पर विचार करना।** ***(पृ.क्र. 17 से 20 तक)***

टीप : छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 178 / एफ--2013--04--00416 / वित्त / नियम / चार, नया रायपुर दिनांक 25 अप्रैल, 2014 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2014 से 100 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता देय पर इस वृद्धि से विश्वविद्यालय पर प्रतिमाह लगभग 13.84 लाख का एवं वित्तीय वर्ष 2014--15 में रूपये 161.08 लाख का अतिरिक्त व्यय भार आवेगा।

महंगाई भत्ते की संशोधित दर :--

अवधि जब से देय है	**महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत**
दिनांक 01.01.2014 (माह जनवरी, 2014 का वेतन जो माह फरवरी 2014 में देय है)	100 प्रतिशत

अतः माह अप्रैल 2014 का देयक तैयार किया जा चुका है, अतः माह मई 2014 के वेतन में महंगाई भत्ता 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत जोड़े जाने की स्वीकृति एवं आगामी कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

---

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

06. **विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2014 से 90 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छ.ग. राज्य शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करना।** **(पृ.क्र. 21 से 27 तक)**

टीप : छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का वित्त निर्देश 24/2014 एवं पत्र क्रमांक 180/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 25 अप्रैल, 2014 की छायाप्रति संलग्न है।

07. **20वाँ दीक्षांत समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. No. 10/Per.Cell/2014, 17 April, 2014 सूचनार्थ प्रस्तुत।** **(पृ.क्र. 28 से 29 तक)**

टीप : श्री अमिताभ जैन, राज्यपाल के प्रमुख सचिव को सम्बोधित, राष्ट्रपति भवन का पत्र क्रमांक No. 10/Per.Cell/2014, 17 April, 2014 के द्वारा विश्वविद्यालय का आगामी दीक्षांत समारोह दिनांक 26 जुलाई, 2014 के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय की सहमति प्राप्त हो चुका है। पत्र एवं क्षण–प्रतिक्षण कार्यक्रम की छायाप्रति संलग्न।

08. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 30)**

09. **स्वर्ण जयंती (1 मई 2014) के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय स्मृति चिन्ह के देयक रू. 13,25,000/– (तेरह लाख पच्चीस हजार रूपए) VIABLE DIAMONDS इंदौर को भुगतान करने के संबंध में विचार करना।** **(पृ.क्र. 31)**

टीप : स्वर्ण जयंती वर्ष (1 मई 2014) के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत, अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.02.2014 के निर्णयानुसार स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाने हेतु मेसर्स **VIABLE DIAMONDS इंदौर** को आदेशित किया गया था, जिसका देयक 13,25,000/– (तेरह लाख पच्चीस हजार रूपए) भुगतान किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

10. **महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर डी.सी.ए. की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार करना।** **(पृ.क्र. 32 से 36 तक)**

टीप : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 में लिए गये निर्णय, 'महाविद्यालय से प्राप्त उत्तर टीप सहित आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किये जाए।' महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर से प्राप्त पत्र क्र. MGM/1504/14 दिनांक 11.02.2014 के आधार पर कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

11. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पृ. क्रमांकः **253** /अका./का.प./**2014** रायपुर, दिनांक : **02** /**05**/**2014**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 01 /अका./का.प./2014 रायपुर, दिनाँक :31/3/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2014 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. (श्रीमती) अमिता सहगल	–	सदस्य
3.	प्रो. सी. एल. पटेल	–	सदस्य
4.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
5.	प्रो. बी. के. शर्मा	–	सदस्य
6.	प्रो. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
7.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
8.	डॉ. एम. आई. मेमन	–	सदस्य
9.	श्री एस. के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
10.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
11.	डॉ. दिनेश मारोठिया	–	सदस्य
12.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

–: कार्यवृत्त :–

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण – श्री ललित सुरजन, डॉ. दिनेश मारोठिया, एवं प्रो. रोहिणी प्रसाद का कुलसिचव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया एवं निवृत्तमान कार्यपरिषद् सदस्य प्रो. ए. के. गुप्ता को कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने हेतु धन्यवाद दिया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

विषय कमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.02.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.02.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई ।

विषय कमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.02.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

निर्णय :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.02.2014 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई :–

1. **विगत 03 वर्षों में कार्यपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी आगामी बैठक में आयोजित किया जावे।**

विषय कमांक–3

वित्तीय सत्र 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय पत्रक, सत्र 2013–14 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं सत्र 2014–15 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

वित्तीय सत्र 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय पत्रक, सत्र 2013–14 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं सत्र 2014–15 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक का निम्नानुसार बिंदुओं का समावेश के साथ अनुमोदन किया गया :–

1. बजट प्रस्तावना पेज क्रं. – 4 में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 1258.92 लाख के स्थान पर रूपए 1947.11 लाख प्रतिस्थापित किया जावें।
2. बजट प्रस्तावना पेज क्रं. – 3–D1 Examination Centre कॉलम – 8 BE में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 20.00 लाख के स्थान पर रूपए 10.00 लाख प्रतिस्थापित किया जावें।
3. बजट प्रस्तावना पेज क्रं.– 36 Grant from other Resources के 2a कॉलम –8 BE में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 60.00 लाख के स्थान पर 6.00 लाख प्रतिस्थापित किया जावें।
4. विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप स्थापित किया जावे। इस हेतु रूपए 20,00,000/– (बीस लाख रूपए मात्र) बजट में प्रावधान किया जावें।
5. स्वर्ण जयंती व्याख्यान प्रतिवर्ष आयोजित किया जावे जिसके लिए बजट में रूपए 5,00,000/– (पांच लाख रूपए मात्र) का प्रावधान किया जावें।
6. अगले बजट में Capital Assets को चिन्हित करते हुए यथास्थान पर उल्लेखित किया जावें।
7. प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा प्रायोगिक उपकरणों एवं स्थायी एसेट्स हेतु रजिस्टर बनायी जावें जिसकी एक प्रति कुलसचिव कार्यालय में भी रिकार्ड हेतु भेंजी जावें।

विषय कमांक–4

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।

विषय कमांक–5

भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति के द्वारा अपलेखन हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–6

जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति के द्वारा अपलेखन हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया ।

विषय कमांक–7

अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन, भिलाई में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन, भिलाई में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, संबंधी बंद लिफाफा खोला गया। चयनित उम्मीद्वार का बायो–डाटा उपलब्ध नहीं था अतः बायोडाटा मंगाकर पुनः प्रस्तुत किया जावें।

विषय कमांक–8

तक्षशिला महाविद्यालय, सिविक सेंटर, भिलाई के परीक्षा केन्द्र के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 07.03.2014 पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में मानसेवी सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, भिलाई लोकल सेंटर, इंजीनियर्स भवन, इंदिरा पैलेस, सिविक सेंटर, भिलाई के द्वारा तक्षशिला महाविद्यालय, सिविक सेंटर भिलाई के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 07.03.2014 पर तक्षशिला महाविद्यालय का सत्र 2013–14 में घोषित परीक्षा केन्द्र निरस्त करते हुए, महाविद्यालय से सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र सांई महाविद्यालय, सेक्टर–6 भिलाई, जिला–दुर्ग किये जाने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को संबद्धता प्राप्त पाठ्यकमों में सत्र 2014–15 के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया जावे तथा तक्षशिला महाविद्यालय को नोटिस दिया जाए कि क्यों न उनकी संबद्धता समाप्त की जावे।

विषय कमांक–9

वार्षिक परीक्षा 2014 में लिखित उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु नोडल केन्द्रों को प्रदान किये गये अग्रिम सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

वार्षिक परीक्षा 2014 में लिखित उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु 08 – नोडल केन्द्रों को प्रदान किये गये अग्रिम राशि रूपए 80,00,000/– (अस्सी लाख रूपए मात्र) का सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया ।

विषय कमांक–10

श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में कार्यालयीन टीप पर विचार करना।

निर्णय :

श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के प्रत्येक बिंदुओं का विश्वविद्यालय परिनियम–31 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही के लिए विधिक सलाह प्राप्त की जावें।

–:पूरक विषय सूची :–

विषय कमांक–1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया:–

1. **पी. एफ. के संचालन के लिए प्रस्तावित विनियम विषय–विशेषज्ञों से परीक्षण करा लिया जावें विषय–विशेषज्ञों के अभिमत के अनुसार अनुमोदन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया है।**
2. **सत्र 2013–14 में निरीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित शर्तो की पूर्ति के साथ संबद्धता प्रदान किये गये महाविद्यालय के द्वारा शर्तों के पूर्ति के संबंध में, की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जावे।**

विषय कमांक–2

श्रीमती नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

श्रीमती नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण की गई।

विषय कमांक–3

कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर में परिनियम 28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन किया गया की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर में परिनियम 28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।

विषय कमांक–4

विश्वविद्यालय में अर्थवर्ष 2009–10 भारित अंकेक्षण शुल्क रूपए 10,22,198/– छत्तीसगढ़ शासन कोष में जमा करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय में अर्थवर्ष 2009–10 भारित अंकेक्षण शुल्क रूपए 10,22,198/– (दस लाख बाईस हजार एक सौ अन्ठानबे रूपए मात्र) छत्तीसगढ़ शासन कोष में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय कमांक–5

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3–13/2007/38 दिनांक 12.10.2007, एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 एवं एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 के संदर्भ में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र. Q – 1–5, क्र. 06 दिनांक 19.03.2014 एवं पत्र क्र. 09 दिनांक 21.03.2014 विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3–13/2007/38 दिनांक 12.10.2007, एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 एवं एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 के संदर्भ में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र. Q – 1–5, क्र. 06 दिनांक 19.03.2014 एवं पत्र क्र. 09 दिनांक 21.03.2014 के संदर्भ में प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि हिन्दी साहित्य अकादमी से संबंधित सभी कार्यवाही हिन्दी साहित्य अकादमी के द्वारा ही किया जावे तथा उनके द्वारा वेतन भत्ते, नियुक्ति एवं अन्य सभी के संबंध में आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश सीधे उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त कर सकते है।

विषय कमांक–6

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE-MODROB) के द्वारा RT-PCR एवं HPCL with PDA detector क्रय करने हेतु क्रमशः रूपए 14,42,100/– एवं 10,80,800/– के क्रय करने की प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय :

फार्मेसी विभाग से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE-MODROB) के द्वारा प्राप्त परियोजना अनुदान के अंतर्गत RT-PCR एवं HPCL with PDA detector उपकरण क्रय करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुमानित लागत क्रमशः रूपए 14,42,100/– (चौदह लाख ब्यालीस हजार एक सौ रूपए मात्र) एवं 10,80,800/– (दस लाख अस्सी हजार आठ सौ रूपए मात्र) पर में नियमानुसार क्रय की कार्यवाही करने के पश्चात् क्रय के लिए प्रशासनिक एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय कमांक–7

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में विद्युत भार बढ़ाये जाने हेतु सी. एस. ई. बी. रायपुर के मांग पत्र के अनुरूप संलग्न पत्र के अनुसार कुल राशि रूपए 20,19,810/– सी. एस. ई. बी. रायपुर को भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में विद्युत भार बढ़ाये जाने हेतु छ. ग. रा. वि. वि. मर्यादित डी. डी. नगर जोन डंगनिया, रायपुर के अनुरूप कुल राशि रूपए 20,19,816/– (बीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ सोलह रूपए मात्र) भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

–:अध्यक्ष की अनुमति से :–

1.1 विश्वविद्यालय की कला भवन, लायब्रेरी भवन एवं गेस्ट हॉउस में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण संबंधित भवन के लिए नए ट्रांसफार्मर 200 के. वी. ए. क्षमता का संस्थापन छ. ग. रा. वि. वि. कंपनी मर्यादित डी. डी. नगर जोन, डंगनिया, रायपुर के द्वारा मांग की गई राशि रूपए 6,02,549/– (छः लाख दो हजार पांच सौ उन्चास रूपए मात्र) का भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

1.2 विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान, एम. बी. ए. भवन, विज्ञान भवन एवं कम्प्यूटर विज्ञान भवन में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण संबंधित भवनों के लिए (03) नए नए ट्रांसफारमर कमशः 63 के. वी. ए., 100 के. वी. ए. एवं 100 के. वी. ए., क्षमताओं का संस्थापन छ. ग. रा. वि. वि. कंपनी मर्यादित डी. डी. नगर जोन, डंगनिया, रायपुर द्वारा किया गया है जिसके लिए उनके द्वारा मांग की गई राशि रूपए 7,85,493/– (सात लाख पच्चयासी हजार चार सौ तिरानबे रूपए मात्र) भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

2. **IQAC** के द्वारा **IAO** को उनके मांग के अनुसार 3 वर्ष अवधि के लिए प्रस्तावित एक्रीडेसन शुल्क राशि रूपए 2,50,000/– (दो लाख पच्चास हजार रूपए मात्र- $ 4000) का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति दी गई।

3. स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए श्री मेहताब अहलूवालिया द्वारा तैयार किये गये **Logo,** स्थापना दिवस 1 मई 2013 को आयोजित कार्यक्रम में स्वीकार करते हुए प्रथम प्रसारण किया गया। श्री मेहताब अहलूवालिया को प्रमाण पत्र के साथ रूपए 11,000/– (ग्यारह हजार रूपए मात्र) मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. संचालक **IQAC** द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अंकेक्षण, वाटर फूटप्रिंट एवं कार्बन फूटप्रिंट एसेसमेंट संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

:– अन्य निर्णय :–

1. स्थापना दिवस 01 मई 2014 को श्री श्रीकुमार बेनर्जी, पूर्व अध्यक्ष **B.A.R.C** के द्वारा मुख्य अतिथि के लिए सहमति प्रदान करने संबंधी सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
2. यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत–समारोह के लिए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा के अनुरूप 20 वाँ दीक्षांत–समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रपति, भारत गणराज्य को ही आमंत्रित किया जाना है। वैसे भी इस दीक्षांत समारोह का आयोजन माननीय राष्ट्रपति महोदय की ही उपस्थिति में उनकी सहमति की प्रतीक्षा में लंबित है। अतः उनकी सुविधानुसार तिथि पर जून–जुलाई–अगस्त, 2014 को किसी भी तिथि में उनकी सहमति पर निर्धारित किया जावे।
3. इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरण विद एवं जल संरक्षण विद श्री अनुपम मिश्र को पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया ।
4. श्री भरत झुनझुनवाला अर्थशास्त्री एवं स्वतंत्र स्तंभकार एवं परामर्श दाता को स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. कमांक 02 /अका./का.प./2014 रायपुर, दिनांक 31/3/2014

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर ।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 188 /अका./वि.प.स्थायी समिति/**2014** रायपुर, दिनांक: 23 / **04 /2014**

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 16.04..2014 अपरान्ह 04.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. सी.एल. पटेल	–	सदस्य
3.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
4	प्रो. स्वर्णलता सर्राफ	–	सदस्य
5.	प्रो. भगवंत सिंह	–	सदस्य
6.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
6.	प्रो. सी.डी. अगासे	–	सदस्य
7.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
8.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	–	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई ।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शासकीय महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा जिला–बालोद	1. एम.ए. पूर्व हिन्दी	30	2014–15	<u>निरीक्षण तिथि :– 19.03.2014</u> आज दिनांक 19.03.2014 को शासकीय एकलव्य महा. डौंडी लोहारा, जिला–बालोद का विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य वर्ष 2014–15 हेतु दो विषयों क्रमशः एम.ए. पूर्व हिन्दी एवं एम.ए पूर्व अर्थशास्त्र विषय प्रारंभ करने संबंधी था। इस संदर्भ में जो तथ्य पाए गये, वे इस प्रकार से है– **<u>(अ) एम.ए. पूर्व हिंदी हेतु</u>** – 1. कक्षा तथा फर्निचर पर्याप्त है।	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।**
		2. एम.ए. पूर्व अर्थशास्त्र	30			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					2. अध्ययन हेतु दो अतिथि व्याख्याता हैं जिनकी नियुक्ति पुनः जुलाई 2014 से की जाएगी। 3. ग्रंथागार में उपलब्ध पुस्तकें अपर्याप्त हैं। प्राचार्य के अनुसार अनुमति पश्चात् पुस्तकें क्रय की जाएगी। **(ब) एम.ए. पूर्व अर्थशास्त्र हेतु –** 1. कक्षा तथा फर्नीचर पर्याप्त है। 2. अध्ययन हेतु एक नियमित सहायक प्राध्यापक है। तथा एक अतिथि व्याख्याता है। अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति पुनः जुलाई 2014 से की जाएगी। ग्रंथागार में उपलब्ध पुस्तकें अपर्याप्त है। प्राचार्य के अनुसार अनुमति पश्चात् पुस्तकें क्रय की जाएगी।	
2.	देव संस्कृति कॉलेज आफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, ग्राम–खपरी, पोस्ट–जेवरा सिरसा, जिला–दुर्ग (छ0ग0) 491001	**B.Com.-III Year** Compulsory Subject with computer Application	50	2012–13	**निरीक्षण तिथि :– 07.04. 2014** 1. छात्रों की संख्या – B.Com.-I= 26, B.Com.-II= 04, B.Com.-III= 05 2. शिक्षकों की संख्या – 03 (0101 U/S 28 and 02 Adhoc) 3. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 4. पुस्तकों की संख्या = 287 5. कम्प्यूटर की संख्या = 21 6. Licensed Software = Windows Server, XP, Vista, XP Tablet, Oracle 8i (DBM), Linux/Unix, C, Tally 5.4, MS. Office. पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकों की नई एवं Multiple copy क्रय की जाय।	**निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।** **संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।** **परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 30 जून, 2014 तक पूर्ण करें।**

(10)

03. श्री अमित चन्दना एवं कपिल कंवर के शोध प्रबंध का मूल्यांकन कराकर परीक्षाफल घोषित करने के संबंध में छ.ग. शासन से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 6–170/ 2010/न्या.प्र./38–2 रायपुर, दिनांक 03.03.2014 पर विचार करना।

निर्णय : माननीय उच्चतम न्यायालय नई–दिल्ली के प्रकरण क्रमांक WPC/19 द्वारा प्रोफेसर यशपाल एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 11.02.2005 को पारित आदेश के परिपालन हेतु समन्वय समिति ने मान्यता समाप्त किये जाने वाले निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंतरिम प्रवेश की व्यवस्था करते हुए परिनियम 27-A बनाया। जिसे पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में भी लागू किया गया।

परिनियम 27-A के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों (अंतरिम संस्थान) को कंडिका 8 एवं 9 में उल्लेखित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में अंतरिम सम्बद्धता प्रदान की गई। इस क्रम में गुरूकुल इंस्टीट्यूट एच. 14, टी.वी. टावर, शंकर नगर, रायपुर को पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. के द्वितीय सेमेस्टर में क्रमशः 18 एवं 6 छात्रों के परीक्षा हेतु मान्यता दी गई। एम.फार्मा. चतुर्थ सेमेस्टर की सूची में शामिल नहीं है।

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ने पत्र क्रमांक एफ. 6–170/2010/न्या. क. 38–2/ रायपुर, दिनांक 03.03.2014 द्वारा परिनियम 27-A के तहत आवश्यक कार्यवाही करते हुए श्री अमित चंदना एवं कपिल कंवर के एम.फार्मा. चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत लघु शोध प्रबंध को नियमानुसार मूल्यांकन कराकर विधि एवं प्रकिया के अनुसार परीक्षाफल घोषित करने हेतु निर्देशित किया है। परिनियम 27-A की कंडिका 6 के अंतर्गत कंडिका–8 एवं 9 में उल्लेखित बिंदुओं के तहत संबंधित संस्थान को समस्त जानकारी इस दस्तावेज सहित उक्त पाठ्यक्रम हेतु 7 मई, 2005 तक आवेदन किया जाना आवश्यक था।

प्रकरण 2005 का है तथा संबंधित अंतरिम संस्थान–गुरूकुल इंस्टीट्यूट शंकर नगर, रायपुर द्वारा एम.फार्मा. पाठ्यक्रम के लिए सम्बद्धता हेतु आवेदन तत्कालीन समय में जमा नहीं किया था, फिर भी, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा, प्रकरण क्रमांक WPC/5543/2010 द्वारा श्री अमित चंदना एवं अन्य के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2012 के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रकरण को विशेष प्रकरण मानते हुए समन्वय समिति को अनुमोदन हेतु भेजने की अनुशंसा की गई बर्शते कि संबंधित अंतरिम संस्थान–गुरूकुल इंस्टीट्यूट शंकर नगर, रायपुर, द्वारा परिनियम 27A की कंडिका–8 एवं 9 में उल्लेखित दस्तावेजों के साथ छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें।

संबंधित अंतरिम संस्थान–गुरूकुल इंस्टीट्यूट, शंकर नगर, रायपुर, चूंकि प्रकरण 2005 का है अतः प्रवेशित छात्रों (श्री अमित चंदना एवं कपिल कंवर) के प्रवेश, नामांकन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अंकसूची का वैधानिक परीक्षण छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय

विनियामक आयोग रायपुर के द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें, ताकि भविष्य में उपाधि प्रदान किए जाने के पश्चात् उपाधि की वैधानिकता बनी रहे।

04. Community Colleges and B.Voc Degree programme प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली के D.O. No. 1-56/2014 (NSQF) Dated 28 March, 2014 पर विचार करना।

निर्णय : Community Colleges and B.Voc Degree programme प्रारंभ करने के संबंध में पत्र की प्रति महाविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। महाविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

05. एम.बी.ए. के अध्यादेश 88 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–A के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

06. विधि के अध्यादेश 60 के के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–B के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

07. एम.पी.एड. के अध्यादेश 172 के के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–C के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

08. भिलाई कालेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई की पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए./बी.सी.ए. के सम्बद्धता बहाल किये जाने हेतु विधिक अभिमत पर विचार करना।

निर्णय : भिलाई कालेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई में विनियम 129 एवं संशोधित विनियम 129 के पूर्व जिन विषयों में सम्बद्धता थी, उन्हीं विषयों में सम्बद्धता जारी रहेगी।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. एम.टेक.इन ऑप्टो इलेक्ट्रानिक्स एण्ड लेजर टेक्नालॉजी के अध्यादेश 178 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–D के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

02. मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इंफार्मेशन साइंस के अध्यादेश 74 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–E के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

03. एम.फार्मा. के अध्यादेश 159 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–F के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

04. एम.एस.सी. आई.टी. के अध्यादेश 150 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–G के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

05. एम.सी.ए. के अध्यादेश 85 के अंतर्गत ग्रेडिंग पद्धति से परिणाम घोषित करने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 149–H के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 189 /अका./वि.प.स्थायी समिति/**2014** रायपुर, दिनांकः 23 / **04 /2014**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(13)

शारीरिक शिक्षा संचालनालय

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 29.03.2014 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये –

1	प्रो0 एस. के. पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष, क्रीडा समिति
2	श्री के. के. चन्द्राकर	कुलसचिव
3	प्रो0 बी. के. शर्मा	सदस्य
4	प्रो0 रीता वेणुगोपाल	सदस्य
5	पदमश्री संतोष यादव	सदस्य
6	डॉ0 सी. एस. चौबे	सदस्य
7	डॉ0 देवाशीष मुखर्जी	सदस्य
8	डॉ0 रेखा सेंटियागो	सदस्य
9	श्री संजय शर्मा	सदस्य
10	श्री राजेश दवे	सदस्य
11	डॉ0 प्रमोद मेने	सदस्य
12	श्री नरेशधर दीवान	सदस्य
13	डॉ0 सुमीत तिवारी	सदस्य
14	श्री बी. सी. बिस्वास	वित्त नियंत्रक
15	डॉ0 विपिनचंद्र शर्मा	संचालक एवं सचिव, क्रीडा समिति

समिति के सभी सदस्यो ने आम राय से निम्नलिखित निर्णय लिये : –

विषय क्र.1 – विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय – विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई ।

विषय क्र.2 – विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 के कार्यवृत्त पर पालन प्रतिवेदन सूचना प्रस्तुत ।

निर्णय – विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई ।

(14)

विषय क्र.3 – सत्र 2013 – 14 मे शारीरिक शिक्षा संचालनालय द्वारा की गयी गतिविधियों की जानकारी सूचनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय – सत्र 2013 – 14 में शारीरिक शिक्षा संचालनालय द्वारा की गयी गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार सूचनायें प्रस्तुत की गई ।

पं0 रविशंकर शुल विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2013–14 में 02 बडे खेलों की मेजबानी की गयी जिसमें मध्यक्षेत्रीय टेबल टेनिस म0/पु0 प्रतियोगिता की मेजबानी की तथा पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय दोनों वर्गों में उपविजेता रही है। अखिल भारतीय नेटबॉल (म0/पु0) प्रतियोगिता की मेजबानी की तथा दोनों प्रतियोगिता में पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय विजेता रही ।

इस वर्ष अखिल भारतीय एथलेटिक्स पैदल चाल मे विश्वविद्यालय के खिलाडी छात्र भूपेन्द्र कुमार ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल, हैण्डबॉल तथा बाक्सिंग (म0) केनोइंग आदि खेलों में मेडल प्राप्त किया है साथ ही 10 खेलो में आलइंडिया स्तर पर क्वालीफाई किया है ।

विषय क्र.4 – शारीरिक शिक्षा संचालनालय के जिमनेशियम हेतु उपकरण एवं खेल सामग्री क्रय किये जाने हेतु 10.00 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति के सम्बंध में विचार करना ।

निर्णय – शारीरिक शिक्षा संचालनालय के जिमनेशियम हेतु उपकरण एवं खेल सामग्री क्रय के लिये रू.10.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखने की अनुशंसा की गई ।

विषय क्र.5 – शारीरिक शिक्षा संचालनालय द्वारा सत्र 2012–13 एवं 2014–15 के खिलाडियों को ट्रेकसूट /ब्लेजर वितरित किये जाने हेतु ट्रेकसूट पुरानी दर 952/- 1200 नग = 1142400/- (ग्यारह लाख बयालीस हजार चार सौ) एवं ब्लेजर पुरानी दर 2150/- 400 नग = 860000/- (आठ लाख साठ हजार) क्रय हेतु स्वीकृति के सम्बंध में विचार करना ।

निर्णय – शारीरिक शिक्षा संचालनालय द्वारा सत्र 2012–13 एवं 2014–15 के खिलाडियो को ट्रेकसूट /ब्लेजर वितरित किये जाने हेतु सीधे निर्माता कंपनीयों से भावपत्र आमंत्रित किया जाकर अथवा खुली निविदा मंगाकर क्रय की कार्यवाही की जाये ।

विषय क.5 – छ0ग0 शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सबसिडी राशि सेक्टर स्तरीय खेल एवं अंतर महाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिता की राशि दुगनी कर व्यय की स्वीकृति के सम्बंध में विचार करना । (केनोइंग महिला/पुरूष एवं बाक्सिंग महिला प्रतियोगिता शामिल करने पर)

निर्णय – शासन के आदेशानुसार सबसिडी राशि प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं के लिये रू. 50/– प्रति छात्र शारीरिक शिक्षा शुल्क निर्धारित है, जिसमें महाविद्यालय द्वारा प्रवेश के समय शुल्क जमा कराया जाकर विश्वविद्यालय को भेजी जाती है । यह शुल्क कई वर्ष पूर्व से निर्धारित है । वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा खिलाडियों, कोचों एवं मैनेजरों को प्राप्त सुविधाओ में विस्तार किया है। इसी प्रकार मध्यक्षेत्रीय एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिये ज्यादा खेलों में विश्वविद्यालय की टीम नियमित रूप से भेजी जा रही है। शारीरिक शिक्षा शुल्क के लिये निर्धारित शुल्क के रूप में महाविद्यालयों से प्राप्त राशि अपर्याप्त है। खेलों के विस्तार, खिलाडियों, कोचों एवं मैनेजरों की सुविधाओ के विस्तार एवं यात्रा व्यय में वृदि को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय को देय शारीरिक शिक्षा शुल्क रू. 50/– में वृध्दि करते हुये रू.100/– प्रति छात्र निर्धारित करने की अनुशंसा की जाती है ।

विषय क.6 – मध्यक्षेत्रीय/अखिल भारतीय अतरं विश्वविद्यालय प्रतियोगिता आयोजित किये जाने हेतु 10.00 लाख (दस लाख) स्वीकृति के सम्बंध में विचार करना ।

निर्णय – प्रस्ताव के अनुसार रू. 10.00 लाख बजट प्रावधान करने की अनुशंसा की जाती है ।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विषय

1 शारीरिक शिक्षा शुल्क कई महाविद्यालयों द्वारा अनेक वर्षो से जमा नहीं कराया गया है । अतः संबंधित महाविद्यालयों से राशि वसूलने के संबंध में परिनियम 27 में उल्लेखित बिन्दुओं के तहत कार्यवाही की जावे ।

3 शारीरिक शिक्षा संचालनालय के अन्तर्गत जिमनेशियम के जीर्णोधर के पश्चात् पंजीकृत सदस्यों से प्राप्त राशि में से अस्थायी तौर पर प्रशिक्षक नियुक्त करने की अनुशंसा की गयी । माननीय सदस्य श्री संजय शर्मा द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु सहमति दी है ।

(16)

4 क्रीडा समिति के माननीय सदस्या पद्मश्री संतोष यादव द्वारा कंचा खेल को मनोरंजनात्मक खेल के रूप में अंतर महाविद्यालयीन स्तर पर प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इसे शामिल करने हेतु अनुशंसा की गयी ।

5 पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत खेलों के चयन संबंध मे निर्णय लिया गया कि सत्र 2013–14 में आयोजित खेल को छोडकर अन्य खेलों की मांग की जावे ।

6 विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण/प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के लिये ठहरने की उचित व्यवस्था देने हेतु खेल छात्रावास के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव बनाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, खेल एवं युवा मंत्रालय नई दिल्ली एवं राज्य शासन को भेजी जावे ।

7 विश्वविद्यालय की ओर से मध्य क्षेत्रीय एव अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिला टीम के साथ अनिवार्य रूप से महिला कोच/मैनेजर भेजने का निर्णय लिया गया ।

8 कोटा स्टेडियम में क्रिकेट मैदान बनाने के संबंध में माननीय सदस्य श्री राजेश दवे , सचिव छ0ग0 क्रिकेट संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि इस संबंध में डॉ0 विपिनचंद्र शर्मा, संचालक से विचार विमर्श कर आवश्यक सहायता लेकर प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

प्रो. एस. के. पाण्डेय
कुलपति एवं अध्यक्ष क्रीडा समिति
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

डॉ. विपिनचंद्र शर्मा
संचालक एवं सचिव क्रीडा समिति
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

Director
Physicul Education Department
Pt. Ravishankar University Raipur (C.G.)

(17)

//कार्यालयीन टीप //

छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश कमांक 178/ एफ–12013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 25 अप्रैल 2014 के अनुसार पुनरक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों /अधिकारियों /कर्मचारियों को दिनांक 01.1..2014 से 100 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता देय पर इस वृद्वि से विश्वविद्यालय पर प्रतिमाह लगभग 13.84 लाख का एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 161.08 लाख का अतिरिक्त व्यय भार आवेगा ।

महंगाई भत्ते की संशोधित दर :–

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.1..2014 (माह जनवरी, 2014 का वेतन जो माह फरवरी 14 में देय है)	100 प्रतिशत

अप्रैल 2014 का वेतन देयक तैयार किया जा चुका है अतः माह मई 2014 के वेतन में महंगाई भत्ता 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत जोड़े जाने की स्वीकृति एवं आगामी कार्यपरिपद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत्।

(18)

वित्त निर्देश 23/2014

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 178/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.01.2014 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

राज्य शासन ने वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 430/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में नियत वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को दिनांक 01.07.2013 से 90 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है । शासन द्वारा उक्त महंगाई भत्ते की दर में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01-01-2014 (माह जनवरी, 2014 का वेतन जो माह फरवरी, 2014 में देय है)	100 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के आधार पर की जावेगी । इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा ।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

(20)

पृ. कमांक 179/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2014

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आलोक राय)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

(21)

वित्त निर्देश 24/2014

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 180/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 438/एफ-2013-04-00188/वित्त/नियम/चार, दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 1.7.2013 से 90 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है ।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-01-2014 से (माह जनवरी, 2014 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह फरवरी, 2014 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी

स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये हैं ।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

(23)

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANACE & PLANNING DEPARTMENT
MANTRALAYA,
MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No. 180 /F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, New Raipur, Dated 25 Ap. 2014
To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Commissioners of Divisions
All Heads of Department
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Chhattisgarh.

The State Government had sanctioned 90 % dearness relief w.e.f. 01-07-2013 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 438/F-2013-04-00188/Fin/Rule/IV, dated 1st October, 2013. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Period	**Rate of Dearness relief per month**
w.e.f. 01-01-2014 (Pension/family pension for the month of January 2014 paid in February 2014)	100% of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the

cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(S. K. Chakraborty)
Joint Secretary
Government of Chhattisgarh
Finance Department

(25)

पृ.क्र. 181/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2014

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मंत्रालय, नया रायपुर ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर ।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग. ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक,गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपाटमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई ।
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधंक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ ।
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।

24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।
25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन,मंत्रालय, चेन्नई 600018.
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001.
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंड़ीगढ़ 160047.
34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
41. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
46. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी-ब्लाक,लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, राजकोट 360001.
48. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रेदश हैदराबाद 500463.
49. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्धगप्रदेश हैदराबाद 500463.
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
53. प्रधान महालेखाकार-1(लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607,तिरूवनन्तपुरम 695039.
55. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.

56. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड़, मुंबई 400020.
58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड़, बैंगलोर 560002.
60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.
61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंड़ीगढ़ 160017.
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा,लेखा भवन, चड़ीगढ़ 160047.
63. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003.
64. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
65. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001.
66. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
67. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001.
68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001.
69. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
70. वरिष्ठ उप महालेखाकार,(लेखा एवं हक.) नागालैण्ड,कोहिमा 797001.
71. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक
72. संचालक,लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
73. महालेखागार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
74. प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन,विकास भवन, नई दिल्ली
75. नियंत्रक लेखा,विदेश मंत्रालय,केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
76. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली ।
77. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर **को वित्त विभाग की** वेबसाइट www.cgfinance.nic.in **में अपलोड करने हेतु ।**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आलोक राय)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

रजनीश, भा.प्र.से.
भारत के राष्ट्रपति का निजी सचिव
Rajneesh, IAS
Private Secretary to the President of India
pstopresident@rb.nic.in

Tel.:23016097/23013172
Fax: 23011689

राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली–110004.
Rashtrapati Bhavan,
New Delhi - 110004.

No.10/Per.Cell/2014
17 April 2014

Dear

Reference letter No. 438/4508/2014/RS/U-1 dated 10 April 2014 from the Governor of Chhattisgarh inviting the President to inaugurate the Golden Jubilee Convocation of Pt. Ravishankar Shukla University.

The President will be pleased to grace the Convocation at **1530-1630 hrs on 26 July 2014 at Raipur.**

The minute-to-minute programme may be sent to the Chief Secretary to the Govt. of Chhattisgarh to finalise the details. A comprehensive note on Pt. Ravishankar Shukla University and its Convocation, draft Speech, draft minute-to-minute programme, Dais Plan, sample Invitation Card, etc. may be forwarded to the undersigned at pstopresident@rb.nic.in. The draft minute-to-minute programme, Dais Plan and sample invitation card may also be sent to Gp. Capt. Sharad S. Sharma, Deputy Military Secretary to the President (Tel: 011-23012959 / Fax: 011- 23014570). Regarding Media coverage Shri Venu Rajamony, Press Secretary to the President (Tel: 23016535) may be contacted. The draft itinerary of the visit is attached for your reference.

Please feel free to contact the undersigned for any programme related requirement.

With regards,

Yours sincerely,
Sd/-
(Rajneesh)

Shri Amitabh Jain
Principal Secretary to the
Governor of Chhattisgarh
Raj Bhavan
Raipur-492001

Encl.: Draft Itinerary

Copy to:
1. Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Raipur
2. Secretary to the Chief Minister of Chhattisgarh, Raipur
3. Dr. SK Pandey, Vice Chancellor, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh

(Rajneesh)

29

2/2

President's Secretariat
(Personal Cell)

Draft itinerary for the President's visit to Chhattisgarh(Raipur) on 26 July 2014:

Sat/26 July 2014

1145 hrs	Dep. Rashtrapati Bhavan
1205 hrs	Arr. Airport – IAF Area
1215 hrs	Dep. Delhi – IAF BBJ
	Lunch on Board
1455 hrs	Arr. Raipur
1505 hrs	Dep. Airport
1525 hrs	Arr. Pt. Ravishankar Shukla University
1530-1630	**To grace the Golden Jubilee Convocation of Pt. Ravishankar Shukla University**
1630 hrs	Dep. Pt. Ravishankar Shukla University
1650 hrs	Arr. Airport
1700 hrs	Dep. Raipur – IAF BBJ
1840 hrs	Arr. Delhi –IAF Area
1850 hrs	Dep. Airport
1910 hrs	Arr. Rashtrapati Bhavan

(Rajneesh)
Private Secretary to the President
17.04.2014

17/04 2014 10:52PM FAX 23011889 0001

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

(30)

विषय :– विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ।

विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के दिनांक– 01 मई 2013 से 30 अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए सुरक्षा व्यवस्था हेतु पत्र क0 121, दिनांक 17.05.2013 के द्वारा मे० न्यू भारत सिक्यूरिटी एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेस, 05–140, W-3A रजत संकुल, बस स्टैण्ड के सामने, गणेशपेठ, नागपुर को आदेशित किया गया था।

दिनांक– 01 मई 2014 से 30 अप्रैल 2015 तक के लिए विश्वविद्यालय के सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना कमांक– 143, दिनांक– 24.02.2014 के द्वारा निम्नलिखित समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित कराया गया था :––

01. इंडियन एक्सप्रेस, नागपुर संस्करण (राष्ट्रीय समाचार–पत्र)
02. दैनिक नवभारत, प्रदेश स्तरीय संस्करण ।
03. दैनिक हरिभूमि, प्रदेश स्तरीय संस्करण ।

निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित फर्मों द्वारा निविदा भरकर प्रस्तुत किया गया था :––

01. मे० न्यू दिल्ली सिक्यूरिटी सर्विस प्रा० लि०, 05 मुस्काल रेसीडेंसी, कलर मॉल के सामने, रायपुर।
02. जांबांज गार्ड्स एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, 21/29 सिविल लाईन, विद्युत कार्यालय के सामने, रायपुर।
03. **न्यू भारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, मेन बस स्टैण्ड के सामने, गणेशपीठ, नागपुर।**

उपरोक्त फर्मों से प्राप्त सीलबंद लिफाफा को डीपीसी की बैठक दिनांक– 24.03.2014 को निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोला गया, प्रथम चरण में टेक्निकल बिड को खोला गया, जिसमें से कंडिका 01 एवं 02 में दर्शित फर्मों को निविदा में निहित शर्तों के अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपात्र पाया गया।

कंडिका 03 में दर्शित फर्म **मे० न्यू भारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, मेन बस स्टैण्ड के सामने, गणेशपीठ, नागपुर** को टेक्निकल बिड में पात्र पाया गया। चूँकि एक ही फर्म को पात्र पाए जाने के कारण दर अनुसूची को नहीं खोला गया।

विभागीय क्रय समिति एवं उक्त समिति में मनोनीत सदस्य द्वारा अनुशंसा करने के पश्चात् वर्तमान में कार्यरत फर्म मे० न्यू भारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, मेन बस स्टैण्ड के सामने, गणेशपीठ, नागपुर का कार्यकाल समाप्ति दिनांक– 30.04.2014 से 02 माह के लिए वृद्धि करते हुए पुनः निविदा सूचना विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। इस विश्वविद्यालय में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 23.05.2014 निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त जानकारी कार्य परिषद के सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

5-5-14

VIABLE DIAMONDS

(31)

JAS-ANZ

BIS Certified Hallmark Jewellers
AN ISO 9001: 2008 Certified Company

INVOICE

M/S The Registrar, University of Delhi New Delhi		Invoice No.	614	30-Apr-14
		Order No.	204	10-Apr-14
		Challan No.	6685	30-Apr-14
		Despatch	SELF	30-Apr-14
S.No.	Description	Quantity	Rate	Total
1	**Memento** [20 gm. Gold Plated Silver Coins] [with acralic housing]	1000	1325.00	1325000.00
REMARK : DUE		TOTAL :		1325000.00
		Output VAT @ 1%(include)		---
		Round Off		---
Rs. Thirteen Lac Twenty Five Thousand Only		NET AMOUNT :		1325000.00

TERMS & CONDITIONS:

1. Goods Once Sold will not be taken back.
2. Interest @ 24 % will be charged after 15 days from the date of bill.
3. E.& O.E.
4. All disputes are subject to Indore Jurisdiction

For : Viable Diamonds

VIABLE DIAMONDS INDORE

Customer's Signaure

Authorised Signatory

111, Krishna Leela Complex, 66, Bada Sarafa, Indore (M.P.) 452 004
Phone : 0731-4053666, 2534657 (Fax) Mobile : 09300233354, 09827318814, E-mail :

Index

Noble diamonds / को. ~~[illegible]~~

स्वर्ण कंपनी का ~~[illegible]~~ के ~~13,25,000 के भुगतान पर~~ [illegible] में कर्मचारियों ~~[illegible]~~ [illegible] शिकायत की जांच [illegible] 13,25,000 (तेरह लाख ~~[illegible]~~ के [illegible] [illegible] पच्चीस हजार) के भुगतान [illegible] की स्वीकृति बावत/

ग्राम लाइन ~~[illegible]~~ के माध्यम से ~~[illegible]~~ द्वारा ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] जमा करने ~~[illegible]~~ के [illegible] में SBI से प्राप्त Multi option payment system पर विचार करने हेतु (SBI से प्राप्त ~~[illegible]~~ आवश्यक संलग्न)

2

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

कार्यालयीन टीप

(कार्यपरिषद् की प्रथम बैठक (मई 2014 से) दिनांक 09.05.2014)

विषय : **डी.सी.ए. की अस्थायी सम्बद्धता के संबंध में महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर से प्राप्त पत्र क्र. MGM/1504/14 दिनांक 11.02.2014 विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 16.12.2013 एवं दिनांक 22.03.2014 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.12.2013 एवं 25.03.2014 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर से प्राप्त पत्र क्र. MGM /1504/14 दिनांक 11.02.2014 की छायाप्रति संलग्न है। माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

* * *

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव)

33

क्रमांक 12449/अका./2013 रायपुर, दिनांक 26/10/2013

प्रति,

प्राचार्य,
महात्मा गांधी महाविद्यालय,
स्टेशन रोड, जिला – रायपुर (छ.ग.)

विषयः– नवीन विषय डी.सी.ए. की संबद्धता के संबंध में ।

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.09.2013 में लिये गये निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.09.2013 में हुए अनुमोदनानुसार "महाविद्यालय परिसर से 38 किमी दूरी पर भूमि की महाविद्यालयीन शिक्षा के लिये उपयोगिता एवं भावी योजना के बारे में जानकारी प्रस्तुत करें" ।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 12459/अका./2013 रायपुर, दिनांक 26/10/2013

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र.शं.शु. वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

(34)

MAHATMA GANDHI MAHAVIDYALAYA

Behind Gurudwara, Station Road, Raipur 492001 Phone: 0771- 4047124, 94252-04469

Ref.No.MGM/1504 /14

Date.11/02/2014

प्रति,

श्रीमान उप कुलसचिव (अका.)
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविधालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय : नवीन विषय डी.सी.ए.की संबद्वता के संबंध में ।

संदर्भ : 1. आपका पत्र कमॉक 1244/अका./2013 रायपुर दिनॉक 26/10/2013
2. पत्र कमॉक13024/अका./2014 रायपुर दिनॉक 04/01/2014.

आदरणीय महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषय में लेख है कि कृपया पत्र में दी गई निम्न बिन्दुओं पर विचार करने की कृपा करें :–

1. विश्वविधालय के पत्र कमॉक 4762/अका./2011 दिनॉक 09/09/2011 के अनुपालन में महाविधालय ने 5 एक्ड भूमि 30/03/2012 को क्रय की।जैसे कि हम सभी को विदित है कि रायपुर शहर छत्तीसगढ की राजधानी होने के कारण महानगर बनने की ओर अग्रसर है जिसके परिणाम स्वरूप रायपुर शहर से कम से कम 50 कि.मी.की दूरी मे ही 5 एक्ड भूमि क्रय हेतु उपलब्ध हैं। जिसके फलस्वरूप महाविधालय ने उक्त भूमि जोकि महाविधालय से 38 कि.मी. दूरी पर स्थित है क्रय की।

2.वर्तमान मे महात्मा गॉधी महाविधालय अपने स्वयं की पॉच मंजिला भवन में संचालित हैं (फोटोग्राफ संलग्न) जोकि सभी आवश्यक आधारभुत एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है । महाविधालय रायपुर मेन रेल्वे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है । जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण एवं दूरस्त क्षेत्रों से आने वाले विधार्थीयों के लिए बेहद सुविधाजनक है । संस्था रायपुर शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित होने से सभी सार्वजनिक यातायात सुविधाओं से जुडी होने के कारण शहर के विधार्थीयों के लिए भी सुविधाजनक है ।

3.वर्तमान में महाविधालय मे एन.सी.टी.ई., पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविधालय एवं छत्तीसगढ शासन के अनुसार क्लासरूम, मलटीपरपस हाल, लाईब्रेरी कम रीडिंग रूम, कंप्युटर लैब, मनोविज्ञान लैब, हैल्थ एण्ड फिजिकल एजुकेशन रिर्सोस सेन्टर , प्राचार्य कक्ष, गल्स कामन रूम, ब्यास कामन रूम, स्टोर रूम एवं पार्किंग है। उक्त कक्षों की विवरण निम्नानुसार है:–

Phone: 0771- 4047124, 94252-04469

35

MAHATMA GANDHI MAHAVIDYALAYA

Behind Gurudwara, Station Road, Raipur 492001 Phone: 0771- 4047124, 94252-04469

Ref.No.MGM/1504 /14

Date.11/02/2014

क्र0	उपयोग का प्रयोजन	कक्षों की संख्या	आकार लं. चौ. फिट में	कुल क्षेत्रफल वर्तमान में उपलब्ध (Sq.Ft. में)
1	प्राचार्य कक्ष	1	18'6"X16'6"	310
2	कार्यालय कक्ष	2	30" X 15" 13'11" X 11"	605
3	स्टाफ रूम	1	23'6" X 21'6"	510
4	लाईब्रेरी कक्ष	1	23'10"X48'5"	1152
5	प्रयोगशाला कक्ष	2	23'6" X 21'6"	505 X 2 = 1010
6	व्याख्यान कक्ष	4	25'6" X 23'6"	604 X 4= 2416
7	व्याख्यान / सेमीनार हॉल	2	70'6"X42'3"	2986 X 2= 5972
8	बेसमेंट पार्किंग	1	38 X 41'6" 31'3" X 28	2452
9	कम्प्युटर लैब	2	28 X 21.6"	604
10	महिला कक्ष	1	30' X 20'	600
11	पुरूष कक्ष	1	30' X 20'	600
12	टेबल टेनिस हॉल	1	34'6" X 30'6"	1052
13	स्टाफ टॉसलेट्स (पुरूष)	1	6 X 6	36

MAHATMA GANDHI MAHAVIDYALAYA

Behind Gurudwara, Station Road, Raipur 492001 Phone: 0771- 4047124, 94252-04469

Ref.No.MGM/1504 /14 Date.11/02/2014

क्र0	उपयोग का प्रयोजन	कक्षों की संख्या	आकार लं.चौ. फिट में	कुल क्षेत्रफल वर्तमान में उपलब्ध (Sq.Ft. में)
14	स्टाफ टॉसलेट्स (महिला)	1	6 X 6	36
15	छात्र प्रसाधन / युरिनल्स	5	5'5" X5'5"	30.25 X 5 = 152
16	छात्रा प्रसाधन / युरिनल्स	5	5'5" X5'5"	30.25 X 5 = 152
17	स्टोर रूम	2	20' X 20' 10' X 20'	400 + 200 = 600
18	कुल निर्मित क्षेत्रफल(बालकनीस लाबीस,लिफट डक्ट,सिडियॉ एवं अन्य मिलाकर)			21,450 sqft.
19	खुली जगह			2600 sqft.

अतः महाविधालय के पास कुल 24,050.sqft. जगह महाविधालयीन उपयोग हेतु उपलब्ध है।वर्तमान मे महाविधालय में केवल दो संकाय संचालित है। **जिसमें बी.एड.में 100 एवं पी.जी.डी.सी.ए. मे 40 विधार्थीयों, कुल 140 सीटों की अनुमति है। परन्तु उक्त आधारभुत संरचना कम से कम 300 विधार्थीयों के पढने पढाने के लिए पर्याप्त है। जोकि वर्तमान मे अनुमति प्राप्त सीटों से कहीं अधिक है।**

4. छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पत्र कमॉक 1952/1303/2013/38–2 रायपुर दिनॉक 31/05/2013 के द्वारा वर्तमान महाविधालय परिसर मे ही डी.सी.ए. के लिए 30 सीट की अनुमति प्रदान की है।

अतः महाविधालय सभी सम्माननीय विधापरिषद एवं कार्यपरिषद के सदस्यों से वर्तमान स्थित महाविधालय मे डी. सी. ए विषय (कुल सीट 30) देने की निवेदन करती है। ताकि महाविधालय वर्तमान में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग हो सके एवं भविष्य मे महाविधालय द्वारा जो भी नया कोर्स प्रारंभ करने अनुमति ली जावेगी उसे नवनिर्मित महाविधालय भवन में ही आरंभ किया जावेगा । इस विषय में आपसे यथोचित सहयोग की हम अपेक्षा करते है।

सादर,

भवदीय

प्राचार्य

महात्मा गांधी महाविधाल,रायपुर

कार्यपरिषद की बैठक 2011 से दिसम्बर 2013 तक कार्यवाही होना शेष

क्र.	कार्यपरिषद् की तिथि	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
1	10.01.2011 प्र.क्र. 12	विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन के पहले लिखित उत्तरपुस्तिका की फोटो कापी प्रदान करने के संबंध में विचार करना।	**विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन के पहले लिखित उत्तरपुस्तिका की फोटो कापी प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि इस व्यवस्था को लागू करने एवं अध्यादेश में संशोधन लाने के पूर्व यह आकलन की जावे कि मौजूदा स्टॉफ की व्यवस्था एवं संसाधन के अंतर्गत निर्धारित अवधि में यह कार्यवाही किया जा सकेगा या नहीं।** **इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यावहारिक रूप से जो कठिनाई आ सकती है वह क्या होगी। इसे कैसे निराकरण किया जा सकता है। अतः संपूर्ण जानकारी के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत की जावे।**	प्रस्ताव पर विचार कर अभिमत देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है।
2	29.04.2011 प्र.क्र. 5	श्री क्यू. फजली, बर्खास्त कनि. अधीक्षक, द्वारा प्रस्तुत अपील पर विचार करना।	श्री क्यू. फजली, बर्खास्त कनिष्ठ अधीक्षक, के प्रकरण पर विधिक सलाह प्राप्त किया जाए।	कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09.05. 2014 में विचारार्थ प्रस्तुत है।
3	28.05.2012 प्र.क्र. 3	विश्वविद्यालय संशोधित अध्यादेश क. 4 की कंडिका 2.1.3 में निर्धारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के संबंध में विचार करना।	विश्वविद्यालय संशोधित अध्यादेश क्रमांक–4 की कंडिका 2.1.3 में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के प्रकरण पर पुराने पी–एच.डी. अध्यादेश–45 एवं संशोधित पी–एच.डी. अध्यादेश 45 में उल्लेखित बिन्दुओं का परीक्षण कर समतुल्यता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित कार्यपरिषद सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया– 1. डॉ. बी.के. शर्मा 2. डॉ. आर.बाला सुब्रामनियम 3. डॉ. एम.आई.मेमन	निर्णयानुसार समिति गठित कर बैठक दिनांक 06.07.2012 को आयोजित की गई है। समिति की रिपोर्ट संलग्न है।

4	24.01.2013 अध्यक्ष के अनुमति से प्र.क्र. 4		University Industries Partnership Council के सचिव डॉ. आर.पी. दास ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र के उद्योगपति एवं समाजसेवी, श्री सीताराम अग्रवाल विश्वविद्यालय परिसर में जमीन उपलब्ध कराने पर, कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए सहमत हैं। कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों द्वारा इस निर्णय का स्वागत करते हुए सिद्धांततः सहमति प्रदान किया गया एवं कन्या छात्रावास के विस्तार अथवा नये कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए पूर्व निर्मित कन्या छात्रावास से जुड़े जमीन आरक्षित किया जावे। आरक्षित जमीन में से आवश्यकतानुसार जमीन आबंटित किया जावे। इस संबंध में समिति गठित कर M.O.U. तैयार करते हुए आगे की कार्यवाही किया जाए।	कार्यवाही होना शेष है।
5	20.03.2013 प्र.क्र. 5	डॉ. संजय चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक, शास. दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर को साफ्टबाल (पुरूष) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए अग्रिम राशि रू. 73,324/– के विरूद्ध 68,659/– रूपए व्यय की समायोजन की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।	डॉ. संजय चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू.ब.महिला महाविद्यालय, रायपुर को सॉफ्टबाल (पुरुष) अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए अग्रिम राशि रु. 73,324/– के विरूद्ध रु. 68,659/– व्यय की समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर जांच कराई जाय कि संबंधित देयक प्राप्त होने के बाद नही मिलने के लिए, कौन जिम्मेदार है तथा संबंधित सहायक प्राध्यापक द्वारा देयक समयसीमा में प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं।	राशि समायोजित। जांच हेतु पत्र क्र. 115/वित्त/2013 दिनांक 23.04.2013 भेजा गया।
6	20.03.2013 प्र.क्र. 6	डॉ. शबनूर सिद्दीकी, प्राध्यापक, इतिहास शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा साफ्टबाल (महिला) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए अग्रिम राशि रू. 73,324/– के विरूद्ध 93,602/– रूपए व्यय की समायोजन की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।	डॉ. शबनूर सिद्दीकी, प्राध्यापक,इतिहास, पं.श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा को सॉफ्टबाल (महिला) अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए अग्रिम राशि रु. 73,324/– के विरूद्ध रु. 93,602/– व्यय की समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर जांच कराई जाय कि संबंधित देयक प्राप्त होने के बाद नही मिलने के लिए, कौन जिम्मेदार है तथा संबंधित सहायक प्राध्यापक द्वारा देयक समयसीमा में प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं।	राशि समायोजित। जांच हेतु पत्र क्र. 133/वित्त/2013 दिनांक 26.04.2013 भेजा गया।

7	20.03.2013 अध्यक्ष के अनुमति से प्र.क्र. 2	ब्लेज़र क्रय के लिये रू. 5,97,700/– की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।	शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा ब्लेजर कय के लिए रुपए 5,97,700/– की स्वीकृति प्रदान की गई।	क्रय किया जा चुका है।
8	30.07.2013 पूरक विषय सूची प्र.क्र. 2	कला भवन में सोलर पावर प्लांट 100 kw पर अनुमानित लागत रू. 150 लाख एवं सबसिडी की राशि के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा देय राशि रू. 54 लाख के अनुमोदन पर विचार करना।	क्रेडा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कला भवन के लिए 100kw का सोलर पावर प्लान्ट संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । क्रेडा द्वारा प्रदत्त सबसिडी के अतिरिक्त विश्वविद्यालय से देय राशि रु. 54 लाख का अनुमोदन किया गया। कार्यपरिषद की जानकारी में लाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा देय राशि को हुडको द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान करने हेतु पत्र लिख गया है।	हुडको द्वारा अनुदान प्रदान नहीं करने के कारण कार्यवाही नहीं हुई है।
9	20.09.2013 प्र.क्र. 3	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013, 13.08.2013 एवं 29.08.2013 के कार्यवृत्त पर कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 में लिये गए निर्णयानुसार की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013, 13.08.2013 एवं 29.08.2013 के कार्यवृत्त पर कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 में लिये गए निर्णयानुसार की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि – (1) निरीक्षण प्रतिवेदन के लिए निर्धारित प्रोफार्मा, परिनियम 27 में उल्लेखित प्रावधान में अनिवार्य आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए संशोधित किया जाए। (2) निरीक्षण समिति द्वारा परिनियम 27 में उल्लेखित अनिवार्य आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन करते हुए समीक्षा कर प्रत्येक बिंदुओं पर अभिमत दी जाए। (3) अंत में निरीक्षण समिति द्वारा स्पष्ट अभिमत दी जाए।	प्रो. बी.के. शर्मा, डॉ. विभूति राय एवं डॉ. आर.के. अग्रवाल की समिति गठित कर दी गई है। समिति की बैठक नहीं हुई है।
10	20.09.2013 अध्यक्ष के अनुमति से प्र.क्र. 4		प्रौढ़ शिक्षा हेतु पूर्व स्वीकृत पदों को अध्यापक शिक्षा संस्थान हेतु पुनर्जीवित करने की अनुरोध शासन से किया जाए।	शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप के अनुसार प्रौढ़शिक्षा के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं है। अतः अध्यापक शिक्षा संस्थान में पदों की स्वीकृति हेतु अलग से प्रस्ताव भेजी गई है।

11	17.12.2013 प्र.क्र. 2	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2013 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई : 1. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.07.2010 में लिए गए निर्णयानुसार आफसेट प्रिंटिंग मशीन क्रय की कार्यवाही किया जावे। 2. बैठक दिनांक 07.08.2010 अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक–4 में निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय में भी जल संवर्धन तथा वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए बजट से चार–पांच भवन चिन्हित कर ली जावे । तत्संबंध में निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में वॉटर हार्वेस्टिंग की दृष्टि से जो क्षेत्र पानी के भंडारण के लिए उपयुक्त है, उसका चयन करते हुए तालाब निर्माण किया जावे।	1. प्रक्रिया में है। 2. विश्वविद्यालय परिसर में जल संवर्धन तथा वाटर हार्वेस्टिंग की दृष्टि से तलाब के लिए जे.बी.सी. मशीन से खुदाई हेतु दरें प्राप्त की गई है। स्थल चयन किया गया है। खुदाई कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है।

कुलसचिव

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.03.2014 का पालन प्रतिवेदन

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
	कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण – श्री ललित सुरजन, डॉ. दिनेश मारोठिया, एवं प्रो. रोहिणी प्रसाद का कुलसिचव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया एवं निवृत्तमान कार्यपरिषद् सदस्य प्रो. ए. के. गुप्ता को कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने हेतु धन्यवाद दिया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।		
01	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.02.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.02.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई ।	
02	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.02.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.02.2014 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई :– 1. विगत 03 वर्षों में कार्यपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी आगामी बैठक में आयोजित किया जावे।	**कार्यपरिषद् की बैठक दि. 09.05.2014 में प्रस्तुत किया जा रहा है।**
03	वित्तीय सत्र 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय पत्रक, सत्र 2013–14 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं सत्र 2014–15 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।	वित्तीय सत्र 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय पत्रक, सत्र 2013–14 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं सत्र 2014–15 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक का निम्नानुसार बिंदुओं का समावेश के साथ अनुमोदन किया गया :– 1. बजट प्रस्तावना पेज क्रं. – 4 में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 1258.92 लाख के स्थान पर रूपए 1947.11 लाख प्रतिस्थापित किया जावें। 2. बजट प्रस्तावना पेज क्रं. – 3–D1 Examination Centre कॉलम – 8 BE में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 20.00 लाख के स्थान पर रूपए 10.00 लाख प्रतिस्थापित किया जावें। 3. बजट प्रस्तावना पेज क्रं.– 36 Grant from other Resources के 2a कॉलम –8 BE में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 60.00 लाख के स्थान पर 6.00 लाख प्रतिस्थापित किया जावें। 4. विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप स्थापित किया जावे। इस हेतु रूपए 20,00,000/– (बीस लाख रूपए मात्र) बजट में प्रावधान किया जावें। 5. स्वर्ण जयंती व्याख्यान प्रतिवर्ष आयोजित किया जावे जिसके लिए बजट में रूपए 5,00,000/– (पांच लाख रूपए मात्र) का प्रावधान किया जावें। 6. अगले बजट में Capital Assets को चिन्हित करते हुए यथास्थान पर उल्लेखित किया जावें।	**निर्णयानुसार प्रावधान किया गया।** **निर्णयानुसार आगामी बजट में प्रस्तुत किया जाएगा।**
		7. प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा प्रायोगिक उपकरणों एवं स्थायी एसेट्स हेतु रजिस्टर बनायी जावें जिसकी एक प्रति कुलसचिव कार्यालय में भी रिकार्ड हेतु भेंजी जावें।	**अधिसूचना क्र. 109/वित्त/2014 दिनांक 22.4.2014 जारी कर समस्त विभागों को सूचित किया गया।**

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
04	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।	निर्णयानुसार पालन किया गया।
05	भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।	भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति के द्वारा अपलेखन हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।	प्रक्रियाधीन है।
06	जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।	जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति के द्वारा अपलेखन हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया ।	आदेश क्र. 226/विकास/2014 दिनांक 07.05.2014 जारी कर पालन किया गया।
07	अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन, भिलाई में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।	अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन, भिलाई में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, संबंधी बंद लिफाफा खोला गया। चयनित उम्मीद्वार का बायो–डाटा उपलब्ध नहीं था अतः बायोडाटा मंगाकर पुनः प्रस्तुत किया जावें।	पत्र क्र. 117/अका./2014 दिनांक 15.04.2014 प्रेषित किया गया।
08	तक्षशिला महाविद्यालय, सिविक सेंटर, भिलाई के परीक्षा केन्द्र के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 07.03.2014 पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में मानसेवी सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, भिलाई लोकल सेंटर, इंजीनियर्स भवन, इंदिरा पैलेस, सिविक सेंटर, भिलाई के द्वारा तक्षशिला महाविद्यालय, सिविक सेंटर भिलाई के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 07.03.2014 पर तक्षशिला महाविद्यालय का सत्र 2013–14 में घोषित परीक्षा केन्द्र निरस्त करते हुए, महाविद्यालय से सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र सांई महाविद्यालय, सेक्टर–6 भिलाई, जिला–दुर्ग किये जाने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2014–15 के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया जावे तथा तक्षशिला महाविद्यालय को नोटिस दिया जाए कि क्यों न उनकी संबद्धता समाप्त की जावे।	पत्र क्र. 308/अका./2014 दिनांक 07.05.2014 प्रेषित किया गया।
09	वार्षिक परीक्षा 2014 में लिखित उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु नोडल केन्द्रों को प्रदान किये गये अग्रिम सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वार्षिक परीक्षा 2014 में लिखित उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु 08 – नोडल केन्द्रों को प्रदान किये गये अग्रिम राशि रूपए 80,00,000/– (अस्सी लाख रूपए मात्र) का सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की गई।
10	श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में कार्यालयीन टीप पर विचार करना।	श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के प्रत्येक बिंदुओं का विश्वविद्यालय परिनियम–31 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही के लिए विधिक सलाह प्राप्त की जावें।	विधिक सलाह प्राप्त कर ली गई है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
		पूरक विषय सूची	
01	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया:– 1. पी. एफ. के संचालन के लिए प्रस्तावित विनियम विषय–विशेषज्ञों से परीक्षण करा लिया जावें विषय–विशेषज्ञों के अभिमत के अनुसार अनुमोदन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया है। 2. सत्र 2013–14 में निरीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित शर्तो की पूर्ति के साथ संबद्धता प्रदान किये गये महाविद्यालय के द्वारा शर्तों के पूर्ति के संबंध में, की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जावे।	1. **विनियम क्र. 157, अधिसूचना क्र. 160/अका./2014 दिनांक 17.04.2014 जारी किया गया।** 2. **प्रक्रियाधीन है।**
02	श्रीमती नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण करना।	श्रीमती नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण की गई।	**कार्यवाही की गई।**
03	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर में परिनियम 28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन किया गया की सूचना ग्रहण करना।	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर में परिनियम 28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।	**कार्यवाही की गई।**
04	विश्वविद्यालय में अर्थवर्ष 2009–10 भारित अंकेक्षण शुल्क रूपए 10,22,198/– छत्तीसगढ़ शासन कोष में जमा करने के संबंध में विचार करना।	विश्वविद्यालय में अर्थवर्ष 2009–10 भारित अंकेक्षण शुल्क रूपए 10,22,198/– (दस लाख बाईस हजार एक सौ अन्ठानबे रूपए मात्र) छत्तीसगढ़ शासन कोष में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	**प्रक्रियाधीन है।**
05	छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3–13/2007/38 दिनांक 12.10.2007, एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 एवं एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 के संदर्भ में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र. Q– 1–5, क्र. 06 दिनांक 19.03.2014 एवं पत्र क्र. 09 दिनांक 21.03.2014 विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।	छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3–13/2007/38 दिनांक 12.10.2007, एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 एवं एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 के संदर्भ में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र. Q – 1–5, क्र. 06 दिनांक 19.03.2014 एवं पत्र क्र. 09 दिनांक 21.03.2014 के संदर्भ में प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि हिन्दी साहित्य अकादमी से संबंधित सभी कार्यवाही हिन्दी साहित्य अकादमी के द्वारा ही किया जावे तथा उनके द्वारा वेतन भत्ते, नियुक्ति एवं अन्य सभी के संबंध में आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश सीधे उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त कर सकते है।	**निर्णयानुसार इस कार्यालय का पत्र क्र. 1472/स्था./सा.प्रशा./14 दिनांक 11.04.2014 प्रेषित किया गया।**

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
06	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE-MODROB) के द्वारा RT-PCR एवं HPCL with PDA detector क्रय करने हेतु क्रमशः रूपए 14,42,100/– एवं 10,80,800/– के क्रय करने की प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।	फार्मेसी विभाग से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE-MODROB) के द्वारा प्राप्त परियोजना अनुदान के अंतर्गत RT-PCR एवं HPCL with PDA detector उपकरण क्रय करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुमानित लागत क्रमशः रूपए 14,42,100/– (चौदह लाख ब्यालीस हजार एक सौ रूपए मात्र) एवं 10,80,800/– (दस लाख अस्सी हजार आठ सौ रूपए मात्र) पर में नियमानुसार क्रय की कार्यवाही करने के पश्चात् क्रय के लिए प्रशासनिक एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	क्रयादेश जारी किया जा चुका है। एक उपकरण विभाग को प्राप्त हो गया है।
07	विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में विद्युत भार बढ़ाये जाने हेतु सी. एस. ई. बी. रायपुर के मांग पत्र के अनुरूप संलग्न पत्र के अनुसार कुल राशि रूपए 20,19,810/– सी. एस. ई. बी. रायपुर को भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करना।	विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में विद्युत भार बढ़ाये जाने हेतु छ. ग. रा. वि. वि. मर्यादित डी. डी. नगर जोन डंगनिया, रायपुर के अनुरूप कुल राशि रूपए 20,19,816/– (बीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ सोलह रूपए मात्र) भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की गई।
		अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण	
01		1.1 विश्वविद्यालय की कला भवन, लायब्रेरी भवन एवं गेस्ट हॉउस में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण संबंधित भवन के लिए नए ट्रांसफार्मर 200 के. वी. ए. क्षमता का संस्थापन छ. ग. रा. वि. वि. कंपनी मर्यादित डी. डी. नगर जोन, डंगनिया, रायपुर के द्वारा मांग की गई राशि रूपए 6,02,549/– (छः लाख दो हजार पांच सौ उन्चास रूपए मात्र) का भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। 1.2 विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान, एम. बी. ए. भवन, विज्ञान भवन एवं कम्प्यूटर विज्ञान भवन में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण संबंधित भवनों के लिए (03) नए नए ट्रांसफारमर क्रमशः 63 के. वी. ए., 100 के. वी. ए. एवं 100 के. वी. ए., क्षमताओं का संस्थापन छ. ग. रा. वि. वि. कंपनी मर्यादित डी. डी. नगर जोन, डंगनिया, रायपुर द्वारा किया गया है जिसके लिए उनके द्वारा मांग की गई राशि रूपए 7,85,493/– (सात लाख पच्चयासी हजार चार सौ तिरानबे रूपए मात्र) भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	कार्यवाही की गई। कार्यवाही की गई।
02		IQAC के द्वारा IAO को उनके मांग के अनुसार 3 वर्ष अवधि के लिए प्रस्तावित एक्रीडेसन शुल्क राशि रूपए 2,50,000/– (दो लाख पच्चास हजार रूपए मात्र $ 4000) का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति दी गई।	भुगतान किया जा चुका है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
03		स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए श्री मेहताब अहलूवालिया द्वारा तैयार किये गये Logo, स्थापना दिवस 1 मई 2013 को आयोजित कार्यक्रम में स्वीकार करते हुए प्रथम प्रसारण किया गया। श्री मेहताब अहलूवालिया को प्रमाण पत्र के साथ रूपए 11,000/– (ग्यारह हजार रूपए मात्र) मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	**प्रक्रियाधीन है।**
04		संचालक IQAC द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अंकेक्षण, वाटर फूटप्रिंट एवं कार्बन फूटप्रिंट एसेसमेंट संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	**प्रक्रियाधीन है।**
		अन्य प्रकरण	
1.		स्थापना दिवस 01 मई 2014 को श्री श्रीकुमार बेनर्जी, पूर्व अध्यक्ष B.A.R.C. के द्वारा मुख्य अतिथि के लिए सहमति प्रदान करने संबंधी सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	**1 मई 2014 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।**
2.		यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत–समारोह के लिए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा के अनुरूप 20 वाँ दीक्षांत–समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रपति, भारत गणराज्य को ही आमंत्रित किया जाना है। वैसे भी इस दीक्षांत समारोह का आयोजन माननीय राष्ट्रपति महोदय की ही उपस्थिति में उनकी सहमति की प्रतीक्षा में लंबित है। अतः उनकी सुविधानुसार तिथि पर जून–जुलाई–अगस्त, 2014 को किसी भी तिथि में उनकी सहमति पर निर्धारित किया जावे।	**माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति 26 जुलाई 2014 के लिए प्राप्त हो चुका है।**
3.		इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरण विद एवं जल संरक्षण विद श्री अनुपम मिश्र को पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।	**नया सत्र में बुलाया जाना प्रस्तावित है।**
4.		श्री भरत झुनझुनवाला अर्थशास्त्री एवं स्वतंत्र स्तंभकार एवं परामर्श दाता को स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।	**नया सत्र में बुलाया जाना प्रस्तावित है।**

कुलसचिव

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :— स्मृति चिन्ह निर्माण देयक रू. 13,25,000.00 भुगतान करने के लिए स्वीकृति हेतु।

इस विश्वविद्यालय के 50वें वर्षगॉठ स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत्/सेवानिवृत्त अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को को विश्वविद्यालय की ओर से दिनांक— 01 मई 2014 को आयोजित स्थापना दिवस में प्रदान किए जाने हेतु स्मृति चिन्ह जो 20 ग्राम चॉदी एवं स्वर्ण मंडित 1000 नग निर्माण कराने हेतु निविदा सूचना कमांक— 148, दिनांक— 26.02.2014 के द्वारा निम्नलिखित समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित किया गया था —

1. दैनिक नई दुनिया, स्थानीय संस्करण ।
2. इंडियन एक्सप्रेस, नागपुर संस्करण (राष्ट्रीय समाचार—पत्र)।

निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित फर्मों द्वारा स्मृति चिन्ह निर्माण हेतु सीलबंद लिफाफा में दर प्रस्तुत किया गया था —

1. आर० एम० इंटरप्राइजेस, 201 वर्धमान टॉवर, 229 तिलक पथ, इंदौर (म० प्र०)
2. धनश्री ज्वेलर्स, सदर बाजार, गिरधर भवन के सामने, रायपुर (छ० ग०)
3. नाथूलाल मानमल, 48/2 धानगली कार्नर, सराफा, इंदौर (म० प्र०)
4. वायबल डायमंड्स, 111 कृष्णलीला कॉम्प्लेक्स, 66 बड़ा सराफा, इंदौर (म० प्र०)

उपरोक्त फर्मों द्वारा प्रस्तुत सीलबंद लिफाफा को डीपीसी की बैठक दिनांक— 21.03.2014 को खोला गया, जिसमें कंडिका 04 में दर्शित फर्म **मे० वायबल डायमंड्स, 111 कृष्णलीला कॉम्प्लेक्स, 66 बड़ा सराफा, इंदौर (म० प्र०)** द्वारा स्मृति चिन्ह प्रति नग रू० 1,325.00 प्रस्तुत किया गया था, उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत दर अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर से कम होने के कारण न्यूनतम् दर के आधार पर 1000 नग स्मृति चिन्ह के निर्माण करने हेतु पत्र कमांक— 204, दिनांक— 10.04.2014 के द्वारा उक्त फर्म को आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात् देयक कमांक— 614, दिनांक— 30 अप्रैल 2014 के द्वारा **रू० 13,25,000.00 (अक्षरी रू० तेरह लाख पच्चीस हजार मात्र)** भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः संबंधित फर्म को भुगतान करने के लिए रू० 13,25,000.00 की स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

5-5-14

अध्यक्ष की अनुमति से

विषयः उद्यान निर्माण हेतु अनापत्ति/सहमति प्रदान करने के संबंध में कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर पत्र कमांक 13 दिनांक 19.04.2014 पर विचार करने बावत्।

टीपः कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा विश्वविविद्यालय में उद्यान निर्माण हेतु विश्वविद्यालय परिसर की खुली भूमि खसरा नं. 523/1, रकबा 38.094 हेक्टेयर का टुकड़ा लगभग 8.00 हेक्टेयर (लगभग 20 एकड़) क्षेत्र में उद्यान निर्माण कार्य हेतु सहमति की मांग किया है। उद्यान निर्माण के बाद मेन्टेनेन्स विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना है।

प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर – (छ.ग.)

नगर निगम मुख्यालय, नया प्रशासनिक भवन, गांधी मैदान के पास, रायपुर

फोन नं.– 0771–2535780, 80, फैक्स 0771–2227395, ई मेल – dc_rmc@radiffmail.com

क्र. 13 /न.पा.नि./2014, रायपुर, दिनांक 19/4/2014

प्रति,

कुल सचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.विद्यालय,
रायपुर – (छ.ग.)

विषय : **उद्यान निर्माण हेतु अनापत्ति/सहमति प्रदान करने बाबत्।**

– – 0 – –

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत खुली भूमि खसरा नं.– 523/1, रकबा 38.094 हे. का टुकड़ा लगभग 8.00 हे. (लगभग 20.00 एकड़) क्षेत्र में उद्यान निर्माण कार्य नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा किये जाने एवं निर्माण पश्चात् उक्त उद्यान का संचालन आपकी संस्था द्वारा किये जाने के प्रस्ताव के संबंध में कृपया अनापत्ति/सहमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

R-2132
6/5/14

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर

commier.pm-5[136]

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की प्रथम* बैठक शुक्रवार, दिनांक 09 मई, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे आयोजित बैठक की पूरक विषयसूची

01. **मे. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा. लि. इंदौर को देयक रू. 20,42,046=00 स्वीकृत किये जाने पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

02. **शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा को हिन्दी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता देने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विनियम – 107 की कंडिका – 5 के अनुसार गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन पर शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.09.2013 में विचार किया गया। शोध उपाधि समिति द्वारा शोध केन्द्र की मान्यता हेतु अनुशंसा की गई है। विनियम – 107 की कंडिका – 8 के प्रावधानानुसार कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

03. **अनुचित साधन समिति गठित किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : वर्ष 2014 की परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश क्रमांक 05 की धारा 20 के उपधारा (06)(ए) के अंतर्गत अनुचित साधन निर्णायक समिति का गठन किया जाना है। उपरोक्त अध्यादेश के अनुसार समिति के सदस्य निम्न प्रकार होंगे:–

(1) एक सदस्य – कार्यपरिषद् के सदस्यों से
(2) एक सदस्य – विभिन्न संकाय के संकायाध्यक्षों से
(3) एक सदस्य – विद्यापरिषद् से

The Committee shall consist of:-

(a) One member of the Executive Council one of the Deans of Faculties and one teacher who is a member of the Academic Council nominated the executive council.
(b) One student who in the academic session immediately preceding was member of any Board of study, nominated by the Kulapati
(c) Registrar (Secretary)

The Executive Council shall appoint one of the members included under (a) to be a Chairman of the Committee w.e.f.1991 (Main).

प्रथम तीन सदस्यों की नियुक्ति किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। कार्यपरिषद् सदस्यों एवं संकायाध्यक्षों की सूची संलग्न।

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

04. **सेमेस्टर/वार्षिक/पूरक परीक्षा 2013 में अनुचित साधन के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित अनुचित साधन समिति के निर्णय की सूचना ग्रहण करना।**

टीप : वार्षिक परीक्षा 2012–13, सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर 2013 एवं पूरक परीक्षा 2013 में नकल प्रकरण में दर्ज एवं निराकृत कुल छात्र संख्या वर्गवार की छायाप्रति संलग्न।

05. **डॉ. गौरी शंकर, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला के पत्र दिनांक 13.02.2014 के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

06. **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.05.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

07. **प्रसूती अवकाश 135 दिन के स्थान पर 180 दिन किये जाने पर विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.09.2013 में विषय क्रमांक 5 पर लिए गये निर्णय "प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय नियम एवं शासन द्वारा निर्धारित नियम/संशोधित नियम का परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाए।" इस संदर्भ में कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

08. **श्री क्यू. फजली, वरिष्ठ अधीक्षक (बर्खास्त) के अपील 28.06.2008 के प्रकरण पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

09. **छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त आचार्य, जैविकी अध्ययनशाला की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

10. **डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के संबंध में।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

11. **श्री रूपेश शर्मा, उपयंत्री, (अनिवार्य सेवानिवृत्त) के प्रकरण पर प्राप्त विधिक अभिमत, विचारार्थ प्रस्तुत।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

12. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की प्रथम* बैठक शुक्रवार, दिनांक 09 मई, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे आयोजित बैठक की पूरक विषयसूची

01. **मे. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा. लि. इंदौर को देयक रू. 20,42,046=00 स्वीकृत किये जाने पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

02. **शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा को हिन्दी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता देने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विनियम – 107 की कंडिका – 5 के अनुसार गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन पर शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.09.2013 में विचार किया गया। शोध उपाधि समिति द्वारा शोध केन्द्र की मान्यता हेतु अनुशंसा की गई है। विनियम – 107 की कंडिका – 8 के प्रावधानानुसार कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

03. **अनुचित साधन समिति गठित किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : वर्ष 2014 की परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश क्रमांक 05 की धारा 20 के उपधारा (06)(ए) के अंतर्गत अनुचित साधन निर्णायक समिति का गठन किया जाना है। उपरोक्त अध्यादेश के अनुसार समिति के सदस्य निम्न प्रकार होंगे:–

(1) एक सदस्य – कार्यपरिषद् के सदस्यों से
(2) एक सदस्य – विभिन्न संकाय के संकायाध्यक्षों से
(3) एक सदस्य – विद्यापरिषद् से

The Committee shall consist of:-

(a) One member of the Executive Council one of the Deans of Faculties and one teacher who is a member of the Academic Council nominated the executive council.
(b) One student who in the academic session immediately preceding was member of any Board of study, nominated by the Kulapati
(c) Registrar (Secretary)

The Executive Council shall appoint one of the members included under (a) to be a Chairman of the Committee w.e.f.1991 (Main).

प्रथम तीन सदस्यों की नियुक्ति किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। कार्यपरिषद् सदस्यों एवं संकायाध्यक्षों की सूची संलग्न।

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

04. **सेमेस्टर/वार्षिक/पूरक परीक्षा 2013 में अनुचित साधन के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित अनुचित साधन समिति के निर्णय की सूचना ग्रहण करना।**

टीप : वार्षिक परीक्षा 2012–13, सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर 2013 एवं पूरक परीक्षा 2013 में नकल प्रकरण में दर्ज एवं निराकृत कुल छात्र संख्या वर्गवार की छायाप्रति संलग्न।

05. **डॉ. गौरी शंकर, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला के पत्र दिनांक 13.02.2014 के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

06. **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.05.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

07. **प्रसूती अवकाश 135 दिन के स्थान पर 180 दिन किये जाने पर विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.09.2013 में विषय क्रमांक 5 पर लिए गये निर्णय "प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय नियम एवं शासन द्वारा निर्धारित नियम/संशोधित नियम का परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाए।" इस संदर्भ में कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

08. **श्री क्यू. फजली, वरिष्ठ अधीक्षक (बर्खास्त) के अपील 28.06.2008 के प्रकरण पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

09. **छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त आचार्य, जैविकी अध्ययनशाला की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

10. **डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के संबंध में।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

11. **श्री रूपेश शर्मा, उपयंत्री, (अनिवार्य सेवानिवृत्त) के प्रकरण पर प्राप्त विधिक अभिमत, विचारार्थ प्रस्तुत।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

12. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– मे० ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा० लि० इंदौर को देयक रू० 20,42,046=00 स्वीकृति हेतु ।

सत्र 2013–14 के वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य हेतु मे० ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा० लि०, इंदौर एवं कुलसचिव के मध्य दि० 06.12.13 को अनुबंध हुआ था ।

उक्त अनुबंध के अनुसार परीक्षा पूर्व कार्य हेतु प्रति छात्र रू० 06.60 स्वीकृत किया गया है ।

संबंधित फर्म द्वारा 2013–14 के वार्षिक परीक्षा पूर्व कार्य संपादित करने के पश्चात् अलग–अलग देयकों के माध्यम से रू० 20,42,046=00 (अक्षरी रू० बीस लाख बियालिस हजार छियालिस मात्र) भुगतान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त देयको को गोपनीय एवं परीक्षा विभाग द्वारा परीक्षण करने के पश्चात् रू० 20,42,046=00 (अक्षरी रू० बीस लाख बियालिस हजार छियालिस मात्र) भुगतान करने के योग्य पाया गया है।

अतः संबंधित फर्म को भुगतान करने के लिए रू० 20,42,046=00 (अक्षरी रू० बीस लाख बियालिस हजार छियालिस मात्र) स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत ।

7-5-14

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कार्यपरिषद् सदस्यों की सूची

दिनांक : 09-05-2014 की स्थिति में

अधिनियम	नाम एवं पता		आदेश एवं कार्यावधि
धारा 23 (1)	कुलपति	प्रो. एस.के. पाण्डेय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	पदेन
धारा 23 (1) (i-a)	रेक्टर	– रिक्त –	पदेन
धारा 23 (1) दो (चार संकायाध्यक्ष)	1	**डॉ.सी.एल. पटेल,** आचार्य एवं अध्यक्ष, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर **profdrclpatel@gmail.com,** Contact No. 93006-33427 [Mobile]	एफ 4–3/2012/रास/यू.–1, रायपुर, दिनांक 16.12.2013 (दिनांक 16.12.2013 से 28.06.2014 तक)
	2	**डॉ. रोहिणी प्रसाद** आचार्य एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर **drprasad_16@yahoo.co.in,** Contact No. 98271-62806 [Mobile]	एफ 4–3/2012/रास/यू.–1, रायपुर, दिनांक 21.01.2014 [21-01-2014 to 02-07-2015]
	3	**डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान,** आचार्य भू–विज्ञान अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. 98271-97331 [Mobile]	एफ 4–3/2012/रास/यू.–1, रायपुर, दिनांक 6.05.2014 (दिनांक 06.05.2014 से 25.12.2015 तक)
	4	**डॉ. भगवंत सिंह,** आचार्य एवं अध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. 098934-10919 [Mobile]	
धारा 23 (1) चार (दो आचार्य)	1	**डॉ. बी.के. शर्मा,** आचार्य, गणित अध्ययन शाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर **sharmabk07@gmail.com,** Contact No. 94060-30873 [Mobile]	एफ 4–2/2011/रास/यू.1 रायपुर, दिनांक 02.08.2011 से 01.08.2014 तक या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले होगा)

अधिनियम	नाम एवं पता		आदेश एवं कार्यावधि
	2	**डॉ. मिताश्री मित्रा** आचार्य, मानव विज्ञान अध्ययन शाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर **mitashree.mitra@gmail.com,** Contact No. 0771-2262567 [Office] 0771-2262436 [Resi] 94252-07354 [Mobile]	एफ 4–2/2012/रास/यू.–1 रायपुर, दिनांक 28.03.2012 (दिनांक 28.03.2012 से 27.03.2015 तक)
धारा 23 (1) पॉच (चार प्राचार्य)	01	**डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल** प्राचार्य, शासकीय जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय,रायपुर **gjycg.college@gmail.com,** Contact No. :- 94242-80893 [Mobile]	एफ 4–1/2012/रास/यू.–1 रायपुर, दिनांक 27.03.2012 से 26.03.2015 तक या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले होगा)
	02	**डॉ. एम.आई. मेमन** प्राचार्य शासकीय घनश्याम सिंह गुप्ता पीजी महाविद्यालय, बालोद **govtcoll_balod@rediffmail.com,** Contact No. :-86021-12084 [Mobile]	
	03	**डॉ. के.एन. बापट,** शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर Contact No. :- 94252-07117 [Mobile]	एफ 4–1/2012/रास/यू. –1 रायपुर, दिनांक 29.04. 2014 से 28.04.2017 तक या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले होगा)
	04	**डॉ. पी.सी. अग्रवाल,** शासकीय दूधाधारी श्री वैष्णवदास संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर Contact No. :- 94242-14562 [Mobile]	
धारा 23(1) छः (शिक्षा सचिव)	01	**डॉ. आर.बाला सुब्रमनियम,** अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि) **r.b.subramanian.edu@gmail.com,** **Contact No. :- 94060-54294 [Mobile]**	छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर, मंत्रालय के पत्र पृ.क्र. 2278/एफ 18–6/2011/38–2, (पार्ट) दिनांक 20.06.2012 से
धारा 23(1) सात (वित्त सचिव)	01	**श्री एस.के. चक्रवर्ती** उप–सचिव, वित्त, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ0ग0) **chakrabortysubir2@gmail.com,** **chakrabortysubir2@gmail.com** Contact No. :- 98261-48940 [Mobile]	**28.04.2008 से**

अधिनियम	नाम एवं पता		आदेश एवं कार्यावधि
धारा 23 (1) आठ कुलाधिपति द्वारा नामांकित	01	**प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश मरोठिया,** कृषक नगर, यूको बैंक के सामने रायपुर **dkmarothia@yahoo.com**	एफ 4–10/2010/रास/यू–1 रायपुर, दिनांक 03.03.2014 03.03.2014 से 02.03.2017
	02	**श्री ललित सुरजन,** सम्पादक, देशबन्धु, रायपुर **lalitsurjan@yahoo.com,** **lalitsurjan@gmail.com** Contact No. :- 98271-41800 [Mobile]	
धारा 23(1) नौ कृषि, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र से प्रतिनिधि	01	– रिक्त –	
	02	– रिक्त –	
	03	– रिक्त –	
धारा 23(1–अ) राज्य विधान सभा द्वारा मनोनीत राज्य विधान मण्डल के पॉच सदस्य	01	– रिक्त –	
	02	– रिक्त –	
	03	– रिक्त –	
	04	– रिक्त –	
	05	– रिक्त –	

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

संकायाध्यक्षों की सूची

दिनांक : 17-04-2014 की स्थिति में

क्र.	संकाय	नाम एवं पता	आदेश/कार्यावधि (2 वर्ष)
01.	विधि	**डॉ.सी.एल. पटेल,** आचार्य एवं अध्यक्ष, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. 93006-33427 [Mobile]	एफ 5–4/2011/रास/यू.–1/3220 रायपुर, दिनांक 29.06.2012 [29-06-2012 to 28-06-2014]
02.	सामाजिक विज्ञान	**डॉ. रोहिणी प्रसाद** आचार्य एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. 98271-62806 [Mobile]	एफ 5–3/2011/रास/यू–1 रायपुर, दिनांक 03.07.2013 [03-07-2013 to 02-07-2015]
03.	टेक्नॉलॉजी	**डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ** आचार्य एवम् अध्यक्ष्, विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. 094255-22945 [Mobile]	एफ 5–5/2011/रास/यू.–1/5363 रायपुर, दिनांक 25.09.2013 [25-09-2013 to 24-09-2015]
04.	कला	**डॉ. भगवंत सिंह,** आचार्य एवं अध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. 098934-10919 [Mobile]	एफ 5–5/2011/रास/यू.1/7027 रायपुर, दिनांक 26.12.2013 [26-12-2013 to 25-12-2015]
05.	विज्ञान	**डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान,** आचार्य भू–विज्ञान अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. 98271-97331 [Mobile]	एफ 5–5/2011/रास/यू.1/7027 रायपुर, दिनांक 26.12.2013 [26-12-2013 to 25-12-2015]
06.	शारीरिक शिक्षा	**डॉ. सी.डी. अगासे,** आचार्य एवं अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अ.शा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. 94255-03534 [Mobile]	एफ 5–5/2011/रास/यू.1/7027 रायपुर, दिनांक 26.12.2013 [26-12-2013 to 25-12-2015]

क्र.	संकाय	नाम एवं पता	आदेश/कार्यावधि (2 वर्ष)
07.	प्रबंधन	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, आचार्य, विश्वविद्यालय प्रबंधन संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. 94242-15539 [Mobile]	एफ 5–5/2011/रास/यू.1/7027 रायपुर, दिनांक 26.12.2013 [26-12-2013 to 25-12-2015]
08.	वाणिज्य	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, प्राध्यापक, शासकीय गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय, भाटापारा Contact No. 90985-80128 [Mobile]	पत्र क्रमांक एफ 5–5/2011/रास/यू.–1, रायपुर, दिनांक 20.01.2014 [20-01-2014 to 19-01-2016]
09.	जीव विज्ञान	- रिक्त -	
10.	गृह-विज्ञान	रिक्त	

कुलसचिव

Annual Exam 2013 UFM Case

वार्षिक परीक्षा वर्ष 2013 (सत्र 2012–13) में नकल प्रकरण में दर्ज एवं निराकृत कुल छात्र संख्या (वर्गवार)

वर्ग	छात्र संख्या
A	146
B	346
C	281
D	2
E	0
कुल योग	**775**

स. क्र.	कक्षा	A	B	C	D	E	योग
1	B.Com-III	19	31	4	0	0	**54**
2	B.Com-II	3	9	12	0	0	**24**
3	B.Com-I	9	13	8	0	0	**30**
4	B.Sc.-III	3	8	4	0	0	**15**
5	B.Sc.-II	6	11	13	0	0	**30**
6	B.Sc.-I	7	35	20	0	0	**62**
7	B.C.A.-III	0	3	2	0	0	**5**
8	B.C.A.-II	4	1	0	0	0	**5**
9	B.C.A.-I	0	2	1	0	0	**3**
10	B.A.-III	8	46	34	0	0	**88**
11	B.A.-II	16	44	45	1	0	**106**
12	B.A.-I	23	69	73	0	0	**165**
13	B.Sc.(Home Sc.)-III	0	0	0	0	0	**0**
14	B.Sc.(Home Sc.)-II	0	0	0	0	0	**0**
15	B.Sc.(Home Sc.)-I	0	0	0	0	0	**0**
16	B.Ed.	12	13	23	0	0	**48**
17	B. Lib. ISC.	0	0	2	0	0	**2**
18	B.P.Ed.	2	3	0	0	0	**5**
19	M.A.(P) Hindi	4	22	7	1	0	**34**
20	M.A.(F) Hindi	2	8	3	0	0	**13**
21	M.A.(P) English	4	3	8	0	0	**15**
22	M.A.(F) English	2	3	3	0	0	**8**
23	M.A.(P) Sociology	1	3	6	0	0	**10**
24	M.A.(F) Sociology	3	2	2	0	0	**7**
25	M.A.(P) Economic	3	3	0	0	0	**6**
26	M.A.(F) Economic	1	0	0	0	0	**1**
27	M.A.(P) Sanskrit	1	1	0	0	0	**2**
28	M.A.(F) Sanskrit	5	3	3	0	0	**11**
29	M.A.(P) Pub. Ad.	0	0	2	0	0	**2**
30	M.A.(F) Pub. Ad.	3	0	0	0	0	**3**
31	M.A.(P) Pol. Sc.	0	1	3	0	0	**4**
32	M.A.(F) Pol. Sc.	0	0	1	0	0	**1**
33	M.A.(F) AIHCA	0	1	0	0	0	**1**
34	M.A.(F) History	0	2	0	0	0	**2**
35	M.A.(P) Philosophy	0	1	0	0	0	**1**
36	M.Phil Geology	0	2	0	0	0	**2**
37	M.Com (P)	2	2	0	0	0	**4**
38	M.Com (F)	3	1	2	0	0	**6**
	Total	**146**	**346**	**281**	**2**	**0**	**775**

Semester Exam Dec.-2013 UFM Case

सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर 2013 में नकल प्रकरण में दर्ज एवं निराकृत कुल छात्र संख्या

वर्ग	छात्र संख्या
A	14
B	14
C	8
D	0
E	0
कुल योग	**36**

स. क्र.	कक्षा	A	B	C	D	E	योग
1	M.Sc. Geology IV Sem	0	2	1	0	0	**3**
2	M.Sc. Geology II Sem	0	0	1	0	0	**1**
3	M.Sc. Chemistry II Sem	0	1	1	0	0	**2**
4	M.Sc. Enviro. IV Sem	1	0	0	0	0	**1**
5	M.Sc. Biotech. IV Sem	1	0	0	0	0	**1**
6	M.P.Ed. IV Sem.	1	0	2	0	0	**3**
7	M.A. Hindi II Sem	0	2	1	0	0	**3**
8	M.A. Hindi IV Sem	0	3	0	0	0	**3**
9	M.A. English II Sem	2	0	0	0	0	**2**
10	M.A. History IV Sem.	0	1	0	0	0	**1**
11	M.A. History II Sem.	0	1	0	0	0	**1**
12	M.A. Economic II Sem	1	0	0	0	0	**1**
13	PGDCA	1	1	1	0	0	**3**
14	M.A. Psychology II Sem	1	0	0	0	0	**1**
15	M.A. Psychology IV Sem	1	0	0	0	0	**1**
16	M.A. Geography II Sem	2	1	0	0	0	**3**
17	M.A. Geography IV Sem	2	0	1	0	0	**3**
18	B.D.S. (IV Y.) New Course	0	1	0	0	0	**1**
19	B.D.S. (F.) Old Course	0	1	0	0	0	**1**
20	M.Phil Clinical Psychology	1	0	0	0	0	**1**
	Total	**14**	**14**	**8**	**0**	**0**	**36**

Supp. Exam 2013 UFM Case

पूरक परीक्षा सितम्बर 2013 में नकल प्रकरण में दर्ज एवं निराकृत कुल छात्र संख्या

वर्ग	छात्र संख्या
A	0
B	13
C	8
D	0
E	0
कुल योग	**21**

स. क्र.	कक्षा	A	B	C	D	E	योग
1	B.Com-III	0	5	0	0	0	**5**
2	B.Sc.-I	0	0	2	0	0	**2**
3	B.A.-III	0	4	2	0	0	**6**
4	B.A.-II	0	1	0	0	0	**1**
5	B.A.-I	0	3	3	0	0	**6**
6	LL.B.- Part-III (I Sem)	0	0	1	0	0	**1**
	Total	**0**	**13**	**8**	**0**	**0**	**21**

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीपः—

विषयः—डॉ. गौरी शंकर, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला के पत्र दिनांक 13.02.2014 के संबंध में विचार करना।

डॉ. गौरी शंकर, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला ने डॉ. एस.के. पाण्डे, कुलपति के द्वितीय कार्यकाल के लिए माननीय कुलाधिपति, छ.ग. राजभवन द्वारा विधिसम्मत् की गई नियुक्ति के संबंध में पत्र सीधे माननीय राष्ट्रपति जी को नियोक्ता की जानकारी के बिना लिखते हुए उक्त पत्र को अग्रेषित करने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है।

डॉ. गौरी शंकर, प्रोफेसर द्वारा पूर्व में कुलपति नियुक्ति के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन को छत्तीसगढ़ राजभवन को अग्रेषित किया जा चुका है।

अतः डॉ. गौरी शंकर, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला के द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 13.02.2014 कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

NO/30/ Stat/2014
13/2/2014

To. Dated: 13.2.2014

The Vice-chancellor
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

Through: Head, School of Studies in Statistics, Pt. R.S.U., Raipur.

Sir,

I am enclosing herewith a copy of the letter dated **13.2.2014** addressed to the Hon'ble President of India, President's Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi - 110 004.

I shall be thankful to you if you could kindly forward the said letter through proper channel to The Hon'ble President of India, President's Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi - 110 004, at your earliest.

Thanking you,

Yours' faithfully,

G Shankar
13.2.2014

(Dr. Gauri Shankar)
Professor of Statistics
Senior most Professor
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur (C.G.)

Q.1440
18.2.14.

Forwarded to
The Registrar
Pt. R.S.U., Raipur

13/2/2014
PROFESSOR & HEAD
School of Studies in Statistics
Pt.Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

438/
19/02/2014

19/2/2014

To,

Dated: 13 .2.2014

The Hon'ble President of India,
President's Secretariat,
Rashtrapati Bhavan, New Delhi.

Through: Proper channel

Reference: **Representation** dated **7.10.2013** submitted to the Hon'ble Kuladhipati, Pt. Ravishankar Shukla University, Raj Bhavan, Raipur (C.G.),
followed by the representation-cum-report dated **24.12.2013** submitted to the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur, Chhattisgarh.

Hon'ble Sir,

I, **Dr. Gauri Shankar**, Professor of Statistics, Senior most Professor, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh, beg to draw your kind attention towards the *state of affair* prevailing in the appointment of Vice-chancellor in Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh, **outside** the provisions of **Section 13** and **14** of the *Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973*, that has made the entire academic community of this university utterly flabbergasted, for the **situation arising due to**:

1. Illegal and unlawful **continuation cum second-term appointment** of sitting Vice-chancellor Dr. S. K. Pandey **outside** the provisions of **Section 13**,
2. Illegal and unlawful **continuation** to **hold the office** of Vice-chancellor as a salaried officer **outside** the provisions of **Section 14** by the sitting Vice-chancellor Dr. S. K. Pandey on expiry of his **four years** term of office on **1.3.2013 to till date**, while **continuation** is **non-salaried** provision of **Section 14(2)** applicable for a period of **six months**, w.e.f. **2.3.2013 to 1.9.2013**, for the appointment of a **successor Vice-chancellor** of Dr. S.K. Pandey,
3. At present date, Dr. S.K. Pandey is both **neither** the Professor of Physics **nor** the Vice-chancellor of Pt. R.S.U., Raipur. However, he is **continuing** to hold the office of Vice-chancellor, and getting the salary thereof, on the basis of **only** *four years* **first-term** appointment order dated **28.2.2009** issued by the **then** Hon'ble Kuladhipati **Shri E.S.L. Narasimhan**, and
4. The **position of Vice-chancellor** is **vacant** since **1.3.2013** and the **office of the Vice-chancellor** is **vacant** since **1.9.2013**. However, Dr. S. K. Pandey is **holding the office** of Vice-chancellor from **1.9.2013 to till date,** on the basis of first-term appointment, leading to a serious consequence of *administrative instability and lawlessness* in Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

Your Excellency Hon'ble Sir, I take an opportunity to submit a copy of the book entitled "*A New Horizon of Peace and Prosperity*", which was nominated for **Abel Prize, 2010,** for *Mathematics* (at par with **Nobel Prize**) with an appreciation by the *Moderation Committee* "**Realistically a shankhanada to society**". This book is listed in *Library of Congress Online Catalog, USA*, and the *Library of Indian Statistical Institute* (ISI), Kolkata, categorizing the following subject headings: (1) *Social systems*

– Mathematical models, (2) *Social problems – Mathematical models,* and (3) *Peace of mind – Mathematical models.*

The investigation carried out in this book provides the structure of **V-H-V Rule** *(Vertical-Horizontal-Vertical rule)* to identify **corruption**, and the procedure of **E-judgment** *(Elementary Judgment)* **with recovery of loss**, derived by the Statistical Quality Control theory of Deterioration, which may be very much useful in resolving social problems including the problem of **corruption** and **terrorism** in society. The *V-H-V rule* and *E-Judgment* may also be useful in controlling processes/systems which are **not well-behaved** and/or subject to some **deterioration.** The *V-H-V rule* which identifies **corruption** and **terror** clearly distinguishes between the following for *E-Judgment* with **recovery of loss**:

(1) *Continuation to* **hold the office** of Vice-chancellor by Dr. S.K. Pandey on expiry of his first-term on **1.3.2013**, where continuation provision of **Section 14(2)**, applicable for a period of **six months**, w.e.f. **2.3.2013 to 1.9.2013**, is a non-salaried provision for the appointment of a **successor Vice-chancellor** of Dr. S.K. Pandey. The **successor Vice-chancellor** appointed shall **enter** his office by taking charge from the sitting Vice-chancellor Dr. S.K. Pandey continuing to **hold the office**,

and

(2) *Nomination* of an **acting Vice-chancellor** by the Hon'ble Kuladhipati, namely, **Dean of any faculty** or the **Senior most Professor** of university teaching department, in case of vacancy in the office of Vice-chancellor, where nomination provision of **Section 14(6)**, applicable for the **common period** of **six months**, w.e.f. **2.3.2013 to 1.9.2013,** is a non-salaried provision for the appointment of a first-term or second-term Vice-chancellor. The Vice-chancellor appointed shall **enter** (in case of first-term) or **re-enter** (in case of second-term) his office by taking charge from the acting Vice-chancellor duly nominated by the Hon'ble Kuladhipati.

Your Excellency Hon'ble Sir, I take this opportunity to submit a copy of representation and a report along with **E-judgment** for your kind perusal, and for **restoration** of academic and administrative harmony in this university.

With due regards,

Yours' faithfully,

G Shankar
13.2.2014

(Dr. Gauri Shankar)
Professor of Statistics
Senior most Professor
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

Copy of letter with representation along with an **Executive Summary** (**Part-A**) and a copy of book along with an **E-Judgment** (**Part-B**) forwarded to the Hon'ble President of India, President's Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi, and
Copy of letter forwarded to Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur (C.G.), as a **reminder** of the representation-cum-report dated **24.12.2013** submitted vide Speed Post No. **EC957238018IN** Dated **24.12.2013.**

यांत्रिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
"स्वर्ण जयन्ती वर्ष"
Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांकः 160 /यांत्रिकी/2014 रायपुर, दिनांकः /05/2014

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक बुधवार दिनांक 07.05.2014 को सांय 06:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	– अध्यक्ष
2. डॉ. बी.के. शर्मा	– सदस्य
3. डॉ. ए.के. गुप्ता	– सदस्य
4. श्री राजेश त्रिपाठी, विभागध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग (एन.आई.टी., रायपुर)	– सदस्य
5. श्री बी.सी. बिश्वास, वित्त नियंत्रक	– सदस्य
6. श्री पवन अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि.	– सदस्य
7. श्री केशव प्रसाद तिवारी, वि.वि. यंत्री (सेवा निवृत्त अभियंता लो0 नि0 विभाग)	– सदस्य
8. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव विशेष रूप से आमंत्रित	– सचिव
9. श्री प्रभात कुमार सक्सेना	– सदस्य
10. श्री अरबिंद डे, उपयंत्री लो.नि.वि.	– विशेष आमंत्रित
11. श्री विशाल शर्मा, उपयंत्री लो.नि.वि.	– विशेष आमंत्रित
12. श्री उमापति रस्तोगी, प्रभारी यांत्रिकी	– विशेष आमंत्रित

विषय क. 01 : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07/02/2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.02.2014 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान की गई।

विषय क.02 : दिनांक 07/02/2014 को आयोजित भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गई कार्यवाही संलग्न हैं।

निर्णय : दिनांक 07.02.2014 को आयोजित भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क.03 : लोक निर्माण विभाग को डिपाजिट वर्क के अंतर्गत प्रदान की गई राशि से किये जा रहे कार्यो की समीक्षा।

निर्णय : लोक निर्माण विभाग को डिपाजिट वर्क के अंतर्गत प्रदान की गई राशि से किये जा रहे कार्यों की जानकारी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई।

विषय क. 04: इ0सी0 मीटिग हॉल (G.F.) के निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 30.40 लाख में से 15.00 लाख का भुगतान पूर्व में लोक निर्माण विभाग को किया गया था । ग्राऊड फ्लोर का कार्य पूर्ण हो चुका हैं तथा इस पर कुल व्यय राशि रू0 23.70 लाख होने की जानकारी दिया हैं । शेष राशि रू0 8.704 लाख का भुगतान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्र0–3 रायपुर को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : इ.सी. मिटिंग हॉल (G.F.) के लिए स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 30.40 लाख में से रू.15.00 लाख का भुगतान करने के बाद शेष राशि रू. 8.70 लाख वित्त विभाग से परीक्षण कराकर भुगतान कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. संभाग कमांक–03, रायपुर को की जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क.05: नोडल इन्स्ट्रमेंटशन सेंटर (G.F.+F.F.) के निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 25.00 लाख में से रू0 12.50 लाख का भुगतान पूर्व में लोक निर्माण विभाग को किया गया था। 100% कार्य पूर्ण करने के लिए शेष राशि रू0 12.50 लाख की मांग की गई हैं । रू0 12.50 लाख के भुगतान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 3 को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :नोडल इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेंटर (G.F.+F.F.)हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 25.00 लाख में से रू. 12.50 लाख भुगतान करने के बाद शेष राशि रू. 12.50 लाख भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क.06: टीचर मल्टी स्टोरी फ्लेट(G type) के निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 72.70 लाख में से पूर्व में रू0 35.50 लाख का भुगतान किया जा चुका हैं । उक्त कार्य में लगभग 50% कार्य पूर्ण हुआ हैं । उक्त राशि रू0 37.20 लाख की मांग की गयी हैं । भुगतान करने के सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : टीचर मल्टीस्टोरी फ्लैट हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 72.70 लाख में से पूर्व में रू. 35.5 लाख में से 25.00 लाख का भुगतान लो.नि.वि. को किया जा चुका है कार्य की प्रगति को देखते हुए अभी भुगतान नहीं करने की अनुशंसा की गई ।

विषय क. 07: स्टॉफ क्वार्टर (I type)निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 52.77 लाख में से रू0 25.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग संभाग क्र0 3 रायपुर को किया जा चुका हैं । 100% कार्य पूर्ण हो चुका हैं । शेष राशि 27.77 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदन करना ।

निर्णय : स्टॉफ क्वॉटर (I-Type) के निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू.52.77 लाख में से रू. 25.00 लाख का भुगतान लो.नि.वि. को किया जा चुका है अतः शेष राशि रू. 27.77 लाख का भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 08: साइंस ब्लाक के रेनोवेशन(Renovation of Science Black) के लिए स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 50.00 लाख में से रू0 25.00 लाख का भुगतान किया जा चुका हैं । 50% कार्य किया जाना बताया गया हैं । शेष राशि रू0 25.00 लाख की मांग की गयी हैं । भुगतान हेतु विचारार्थ।

निर्णय : साइंस ब्लॉक के रेनोवेशन के लिए स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 50 लाख में से रू. 25.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है अतः शेष राशि रू. 25.00 लाख का भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र.09: लॉ मूट कोर्ट (G.F.+F.F.)निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 30.61 लाख में से 15.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 80% कार्य पूर्ण हो चुका हैं। शेष राशि रू0 15.61 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : लॉ मूट कोर्ट निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 30.61 लाख में से 15.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू.15.61 लाख के भुगतान लो.नि.वि. को किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र.10: क्लस्टर क्लास रूम (02 नग) निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 75.00 लाख में से रू0 37.50 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं। 80% कार्य पूर्ण होना बताया गया हैं। शेष राशि रू0 37.50 लाख भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :क्लस्टर क्लास रूम (02 नग) निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 75.00 लाख में से रू. 37.50 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू. 37. 50 लाख का भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र.11: एनीमल हाऊल (प्रथम तल) निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 6.17 लाख में से रू0 2.50 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 100% कार्य पूर्ण हो चुका हैं। अतः शेष राशि रू0 1.85 लाख भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : एनीमल हाऊल (प्रथम तल) निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू.6.17 लाख में से रू. 2.50 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है। अतः शेष राशि रू.1.85 लाख का भुगतान लो.नि.वि. को किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 12: स्टूडेंट रिक्रेरेशन सेंटर (G.F.+F.F.) निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 50.95 लाख में से रू0 10.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 80% कार्य पूर्ण होना बताया गया हैं । अतः शेष राशि रू0 40.95 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : स्टूडेंट रिक्रेशन सेंटर (G.F.+F.F.)निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू.50.95 लाख में से रू. 10.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू.40.95 लाख का भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 13: रिनोवेशन ऑफ लाईब्रेरी बिल्डिंग निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 50.00 लाख में से रू0 25.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 100% कार्य पूर्ण होना बताया गया हैं। अतः शेष राशि रू0 25.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : रिनोवेशन ऑफ लाईब्रेरी बिल्डिंग निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू.50.00 लाख में से रू.25.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू.25.00 लाख का भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 14: हर्बल गार्डन निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 10.27 लाख में से रू0 5.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 100% कार्य पूर्ण हो चुका हैं । अतः शेष राशि रू. 5.27 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : हर्बल गार्डन निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 10.27 लाख में से रू. 5.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू. 5.27 लाख का भुगतान लो.नि.वि. को करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 15: बास्केट बॉल कोर्ट (2नग) निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 12.19 लाख में से रू0 6.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं। 100% कार्य पूर्ण हो चुका हैं। अतः शेष राशि रू0 6.19 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : बास्केट बॉल कोर्ट (2 नग) निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू.12.19 लाख में से रू. 6.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू.6.19 लाख का भुगतान लो.नि.वि. को किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क. 16: प्रशासनिक भवन के चारों ओर बाऊन्ड्रीवॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 32.67 लाख में से रू0 10.78 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 70% कार्य पूर्ण हो चुका हैं । अतः शेष राशि रू0 21.89 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : प्रशासनिक भवन के चारों ओर बाऊंड्रीवाल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू.32.67 लाख में से रू.10.78 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू. 21.89 लाख का भुगतान लो.नि.वि. को किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क.17 : रिनोवेशन ऑफ टिचर्स हॉस्टल के लिए स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 41.96 लाख में से रू0 10.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 60% कार्य पूर्ण हो बताया गया हैं । अतः शेष राशि रू0 31.96 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : रिनोवेशन ऑफ टिचर्स हॉस्टल के लिए स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू.41.96 लाख में से रू.10.00 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू.31.96 लाख में से रू. 20.00 लाख का भुगतान लो.नि.वि. को किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क.18: कारीडोर एवं प्रथम तल इसी मिटींग हॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 33.20 लाख में से रू0 10.95 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 30% कार्य पूर्ण होना बताया गया हैं। अतः शेष राशि रू0 22.25 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : कारीडोर एवं प्रथम तल इसी मिटिंग हॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 33.20 लाख में से रू. 10.95 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू. 22.25 लाख का भुगतान लो.नि.वि. को किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क. 19: प्रेक्षागृह के चारों ओर बाऊन्ड्रीवॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 33.45 लाख में से रू0 11.04 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 70% कार्य पूर्ण हो चुका हैं। अतः शेष राशि रू0 25.30 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : प्रेक्षागृह के चारों ओर बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू.33.45 लाख में से रू. 11.04 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू. 25.30 लाख का भुगतान लो.नि.वि. को करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 20: विश्वविद्यालय के चारों ओर बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 251.69 लाख में से रू0 82.83 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 25% कार्य पूर्ण हो बताया गया हैं। अतः शेष राशि रू0 169.13 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को करने के संबन्ध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के चारों ओर बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 251.69 लाख में से रू. 82.83 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है। 25% कार्य पूर्ण हो बताया गया है। अतः अभी भुगतान स्थगित रखा जावे।

विषय क्र. 21: कोटा स्टेडियम के चारों ओर बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 35.50 लाख में से रू0 11.71 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं । 50% कार्य पूर्ण हो चुका हैं । अतः शेष राशि रू0 23.785 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : कोटा स्टेडियम के चारों ओर बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 35.50 लाख में से रू. 11.71 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू. 23.785 लाख का भुगतान लो.नि.वि. को करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 22: गणित एवं सांख्यिकी अध्ययन शाला में 2 नग हॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू0 18.37 लाख में से रू0 1.97 लाख + रू0 4.09 लाख कुल रू0 6.06 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं। 50% कार्य पूर्ण हो चुका हैं। अतः शेष राशि रू0 12.31 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : गणित एवं सांख्यिकी अध्ययनशाला में 2 नग हॉल निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन राशि रू. 18.37 लाख में रू. 1.97 लाख + रू. 4.09 लाख कुल रू. 6.06 लाख का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अतः शेष राशि रू. 12.31 लाख का भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क. 23: विश्वविद्यालय में प्रस्तावित भवनों के ड्राईग डिजाइन तैयार करने एवं प्राक्कलन तैयार करने के लिए आर्किटेक्ट नियुक्त करने के संबन्ध में विचार करना । बी.एड. एवं बेसिक साईस भवन के लिए ड्राईग डिज इनिग एवं प्राक्कलन तैयार किया जाना हैं । इस संबन्ध में श्रीवास्तव / बाघरेचा एंड एसोसियेट्स रायपुर का पत्र प्राप्त हुआ हैं ।

निर्णय : इस कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आदेशित दरों पर कार्य कराने की अनुशंसा की गई ।

विषय क.24: कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर छ0ग0 के पत्र क्र0 13 / न0पा0नि0 / 2014 रायपुर दिनांक 19 / 04 / 2014 के माध्यम से विश्वविद्यालय में उद्यान निर्माण हेतु लगभग 20 एकड़ भुमि उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रदान करने संबन्ध में विचार करना।

निर्णय : प्रकरण सीधे कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जावे।

विषय क.25 : कोटा स्टेडियम बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा हैं । लोक निर्माण विभाग के पत्र क्र0 2111 / अंके.रा–3 रायपुर दिनांक 30 / 04 / 2014 के माध्यम से ज्ञात हुआ हैं कि सरस्वती नगर थाने के स्टॉफ द्वारा लगभग 10 दिनों पूर्व न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया हैं । वर्तमान में निर्माण कार्य स्थगित रखा गया हैं । निर्माण कार्य आगे कराये जाने के संबन्ध में विचार करना।

निर्णय : प्रशासन द्वारा निराकृत किया जावे।

विषय क.26: पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण के संबन्ध में लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र ज्ञापन क्र0 575 / शिल्प / रा–3, रायपुर दिनांक 28 / 04 / 2014 द्वारा महिला छात्रावास के पीछे बाऊण्ड्रीवॉल एवं कांगेर–वैली स्कुल के पास बाऊण्ड्रीवॉल के निर्माण के लिए स्थल चिन्हाकिंत कर नक्शे के रूप में उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा हैं । अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत आर आई श्री सिन्हा जी को उक्त कार्य हेतु मौखिक रूप से निर्देशित किया गया था।

शीघ्र निर्माण स्थल का नजरी नक्शा उपलब्ध कराने एवं निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय : प्रशासन द्वारा निराकृत किया जावे।

अन्य निर्णय :

1. विश्वविद्यालय के गार्डन मेनटेनेस के लिए सी0 एस0 आर0 के तहत हीरा ग्रुप, मोनेट, जिन्दल, गोयल टीएमटी एवं अन्य से सम्पर्क किया जावें ।
2. विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव केम्पा प्रोजेक्ट के तहत वन विभाग को भेजा जावें ।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न की गई ।

कुलपति

कुलसचिव

पृ.क्रमांकः 161 /यांत्रिकी/2014 रायपुर, दिनांकः /05/2014

प्रतिलिपि :–

1. भवन निर्माण समिति के समस्त सदस्यों की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित कि कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है, तो कृपया सूचित करें ।
2. कुलपित के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ ।
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (अनुदान प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. वित्त नियंत्रक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रभारी अधिकारी
यांत्रिकी विभाग

कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु टीप

विषयः- प्रसूती अवकाश 135 दिन के स्थान पर 180 दिन किये जाने पर विचार करना।

समन्वय समिति के निर्णय दिनांक 08.11.1985 के अनुसार विश्वविद्यालय परिनियम 31 (अवकाश) की कंडिका 22 से 52 को विलोपित कर अवकाश नियम 1986 जोड़े जाने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार विश्वविद्यालय कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण शासन के नियमानुसार निराकृत किया जाता रहा है। (प्रति संलग्न)

छत्ततीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के क्रं038/एफ-1003117/वित्त/नियम/चार/2012, रायपुर दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 के अनुसार महिला शासकीय कर्मचारियों को पूर्व में स्वीकृत 135 दिन के प्रसूति अवकाश में वृद्धि करते हुए 180 दिन किया गया है, अवकाश की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

उक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि दिनांक 18 फरवरी 2013 से प्रभावशील होगा। यदि कोई महिला शासकीय सेवक इस नियम के लागू होने की तिथि में मातृत्व अवकाश पर है, तो उसे भी मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि का लाभ प्राप्त होगा।

राज्य शासन के द्वारा जारी आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय के माननीय कार्यपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अधिसूचना क्रमांक 4945/सा.प्रशा/10 दिनांक 24.11.2010 के द्वारा **पूर्व में स्वीकृत अवकाश वृद्धि को अंगीकृत किया गया है।** (राज्य शासन का ज्ञापन एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु (संलग्न)

कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने वाले टीप

छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के तहत प्रसूति अवकाश नियमानुसार 135 दिन अवकाश का प्रावधान था। छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक 40/एफ-1003117/वित्त/नियम/4/2012 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय द्वारा नियम 38 के उपनियम (1) में, 135 के स्थान पर 180 दिन प्रतिस्थापित किया गया है।

श्रीमती सविता पुसरिया, निम्न वर्ग लिपिक को विश्वविद्यालय के आदेश क्रं. 2492/सा.प्रशा./13 दिनांक 04.06.2013 के अनुक्रम में 135 दिन के स्थान पर 31.07.2013 से 13.09.2013 तक 45 दिनों का प्रसूति अवकाश कार्य परिषद के अनुमोदन के प्रत्याशा में आदेश क्रमांक 6027/सा.प्रशा./13 दिनांक 12.08.2013 के द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत अवकाश कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ रखे जाने टीप प्रस्तुत।

[illegible] :

[illegible] Executive Council may make rules laying down the Principl[illegible] [illegible]ding the allotment of [illegible] buildings or such portions thereof, as may be available to employees serving under the administrative control of the University for residential purposes.

[illegible] When University employees mentioned below are provided with unfurnished University [illegible] they shall pay monthly rent at the rates specified against them or the sanctioned rent (i.e. the [illegible] rent) whichever is less :

(a) All University employees belonging to Class III or Class IV :

(i)	Whose emoluments exceed Rs. 250/- p.m.	7½ percent of emoluments.
(ii)	Whose emoluments exceed Rs. 100/- p.m. but do not exceed Rs. 250/- p.m.	5 percent of emoluments.
(iii)	Whose emoluments do not exceed Rs. 100/- p.m.	Rs. 2/0 p.m.

(b) All other employees. 10 percent of emoluments.

Provided that the standard rent shall be calculated on the basis of the provisions in the Fundamental Rules of the Madhya Pradesh Government.

Rule : (i) The tenant will, in addition, be required to pay the cost of water and electrical energy consumed.

(ii) Emoluments shall mean emoluments as defined in Rule 45(c) of the M.P. Fundamental Rules.

21. The employees shall be eligible to house rent allowance at the rates sanctioned by the M.P. Government for its employees subject to the conditions laid down by the Madhya Pradesh Government [illegible] grant of such allowance.

(Clause 22 to 52 have been deleted vide decision of Coordination Committee dated 8.11.85 and have been included in Leave Rules, 1986.)

(A) CASUAL LEAVE :

(i) Casual leave is not earned by duty. An employee on casual leave is not treated as absent from duty and his pay is not intermitted, Casual leave cannot be claimed of right and its grant is always subject to the exigencies of service and subject to maximum of 13 days in a calendar year.

(ii) Casual leave may be granted as and when occasion arises at the discretion of the sanctioning authority, provided that the total period of absence, including sunday and other holidays shall not exceed 8 days at a time.

Note : Holidays or Sundays falling between will not count as casual leave.

(iii) Casual leave cannot be combined with any other kind of leave.

(B) SPECIAL CASUAL LEAVE :

(i) An employee summoned to serve as juror or assessor or to give evidence before the Court of Law as a witness in a civil or criminal case in which his private interests are not at issue may be given this leave. The leave so granted should be sufficient to cover the period of absence necessary.

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन - नया रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2013

क्रमांक 40/एफ-1003117/वित्त/नियम/चार/2012 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 38 के उप-नियम (1) में, अंक "135" के स्थान पर, अंक "180" प्रतिस्थापित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन - नया रायपुर

क्रमांक 38/एफ-1003117/वित्त/नियम/चार/2012, रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन ।

संदर्भ:वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 01 अक्टूबर, 2010.

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 के अनुसार महिला शासकीय कर्मचारियों को 135 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश की पात्रता है । राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त अवकाश की अवधि में वृद्धि की जाकर 180 दिन किया जाए । अवकाश की अन्य शर्ते यथावत रहेगी ।

2/ छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 में संशोधन की अधिसूचना संलग्न है । यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगा । यदि कोई महिला शासकीय सेवक इस नियम के लागू होने की तिथि में मातृत्व अवकाश पर है तो उसे भी मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि का लाभ प्राप्त होगा ।

3. यह नियम छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वेबसाईट http://cgfinance.nic.in/ में 'Rules & Acts' खण्ड में उपलब्ध है ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

[illegible]शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//अधिसूचना//

क्र. [illegible] ५५ /सा.प्रशा./10 रायपुर, दिनांक २५/११/2010

समस्त अधिकारियों/शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि छ.ग. शासन के अवकाश नियम (1986) 1977 के अंतर्गत छ.ग.शासन वित्त एवं योजना विभाग, दाउ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 क्रमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010 रायपुर दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 के अंतर्गत छ.ग. अवकाश नियम 2010 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किया जाता है।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

[signature]

कुलसचिव

पृ. क्र.५५५६ /सा.प्रशा./10 रायपुर, दिनांक २५/१९/2010 २४/११/१०

प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभागीय अधिकारी/अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[signature]

O. S. D. (Adm.)

सहायक कुलसचिव (प्रशा.)

P. R. S. University

RAIPUR (C. G.)

MyDoc/Pandeyji/Vivek/54

विषय क्रमांक............

श्री क्यू फजली, कनिष्ठ अधीक्षक (बर्खास्त) के अपील दिनांक 28.06.2008 प्रकरण पर विचारार्थ।

श्री फजली इस विश्वविद्यालय में कनिष्ठ अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनके द्वारा जानबूझ कर डॉ.राजश्री शुक्ला, रायपुर के नाम से जारी धनादेश (यूनियन बैंक, रायपुर) क्र. 076820 दिनांक 23.03.2007 राशि रूपये 5354 को जानबूझ कर षड्यंत्रपूर्वक एकाउंट-पेई (Account Payee) न करके धनादेश के पृष्ठ भाग पर श्री दीपक, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को संबंधित राशि आहरित करने हेतु अधिकृत करते हुये आर. शुक्ला लिखना स्वीकार किया गया था एवं इसी आधार पर जांच उपरांत उन्हें कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.05.2008 में लिये गये निर्णय के परिपालन में विभागीय जांच में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप इसकी सेवाए तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई थी।

श्री क्यू फजली (बर्खास्त) द्वारा दिनांक 28.06.2008 को कुलपति महोदय एवं कार्यपरिषद की अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.04.2011 में पूरक सूची में पद क्रमांक 05 पर लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण पर विधिक सलाह प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था।

कार्यपरिषद के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में श्री एच.आर. द्विवेदी, अधिवक्ता द्वारा अपने विधिक अभिमत दिनांक 01.03.2013 में निम्नानुसार जानकारी प्रेषित की गई है कि- मेरे मत में न्याय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये निम्न बिन्दुओं पर विचारणा अपील के निराकरण के समय किया जाना विधि सम्मत होगा:-

(1) क्या कुलपति द्वारा दिनांक 23.04.2008 को सेवा समाप्ति की कार्यवाही का आदेश देना विधि सम्मत था?

(2) आहरित राशि रू. 5354/- में से रू. 1354/- प्राप्त करना श्री अशोक कुमार उइके द्वारा बयान दिनांक 09.04.2007 में स्वीकार किया गया है। रू. 4000/- की राशि कु. शुक्ला को प्राप्त नहीं होना परिलक्षित होता है। लेकिन यह राशि श्री क्यू. फजली को प्राप्त होना कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है। राशि कहा गई यह प्रश्न जांच में अनुत्तरित रहा है।

विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण पर विधिक अभिमत हेतु प्रकरण पुनः माननीय उच्च न्यायायल के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे के पास भेजा गया।

श्री चौबे द्वारा दिनांक 06.04.2014 को अपना विधिक अभिमत दिया गया है। जिसमें श्री फजली पर अधिरोपित किया गया दण्ड कठोर प्रकृति होने के साथ-साथ नियमों में दी गई प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अनुपालन न किये जाने के कारण दिया गया दण्ड दूषित है, जिसे विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद संशोधित/अपास्त कर सकती है एवं अपील प्रकरण में हुये विलंब को देखते हुये न्यायहीत में अपील का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए।

प्राप्त अभिमत की प्रति संलग्न कर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 में विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत।

F:/SahuSir/Letter/429

NEERAJ CHOUBEY advocate
(Advocate)
Chhattisgarh High Court code- 1546

Resident :- Mahamaya Vihar Colony , Left street
No 3, Ware house Road, Bilaspur (C.G),
Cell Phone No. (O) 9893407057, 8109987121 (R)

दिनांक 06.04.2014

श्री क्यू फजली के प्रकरण में विधिक अभिमत।

एक सेवक को दिये जाने वाले दंड का निर्धारण करते समय, उसके पिछले रिकार्ड पर विशेषतः उसमें दिये गये उसकी अच्छी या बुरी सेवा के विनिर्दिष्ट उदाहरणों पर, समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यह वांछनीय है कि सेवक यह समझ ले कि सच्चरित्र तथा अच्छी सेवा के कार्य उस समय उसके लिये हितकारी सिद्ध होंगे, जब कभी उनके आचरण पर आपत्ति उठायी जायगी। यदि किसी मामलें में साक्ष्य अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त न हो, केवल उसके कदाचार या अवचार का संशय होता हो, और यदि यह पाया जाए कि जिस सेवक पर आरोप लगाया गया, उस व्यक्ति नें पेंशन योग्य सेवा पूर्ण करली हो, तो उसे केवल संदेह पर सेवा से हटाना उचित नहीं होंगा क्योंकि वि0 वि0 का एक पुराना कर्मचारी होने के नाते वह जीवन की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, जहॉ उसके जीवन–यापन हेतु कोई अन्य व्यवसाय करना कतई संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसे सेवा से हटाया जाना अत्याधिक कठोर दंड होगा। पेंशन नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि उन लोगों की पेंशन का कुछ भाग कम किया जा सकता है जिनकी सेवा पूर्ण रुप से संतोषप्रद नहीं रही है और इस प्रकार ऐसे मामलें में न्यायदान की दृष्टि से दंड के उपयुक्त तरीके की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान प्रकरण में संबंधित सेवक के लापरवाही अथवा कानून के उल्लंधन के कारण यदि विश्वविद्यालय को रुपये 5354/– की आर्थिक क्षति पहुँची थी तो संबंधित सेवक के वेतन से पूर्णतः भरपाई करायी जा कर, अनिवार्य सेवा निवृत्त का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया जाना चाहिए था।

Office :- THE LAW FIRM (Advocates & Solicitors), Near Mission School, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) Pin- 495001
E-mail- nrjchoubey@gmail.com and nrj_choubey@rediffmail.com

NEERAJ CHOUBEY advocate
(Advocate)
Chhattisgarh High Court code- 1546

Resident :- Mahamaya Vihar Colony , Left street
No 3, Ware house Road, Bilaspur (C.G),
Cell Phone No. (O) 9893407057, 8109987121 (R)

विभागीय जॉच में भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं पाया गया कि रुपये 5354/– की राशि श्री क्यू फजली को प्राप्त हुयी। अतः श्री क्यू फजली को लापरवाही हेतु कठोर दंड के स्थान पर अन्य कोई लधु शास्ति उस समय अधिरोपित करना अधिक न्याय संगत होता।

प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता श्री एच.आर.द्विवेदी जी के विधिक मत से भी मैं पूर्णतः सहमत हूँ।

मेरा अभिमत यह है कि, श्री क्यू फजली पर अधिरोपित किया गया दण्ड अत्याधिक कठोर प्रकृति होने के साथ –साथ नियमों में दी गयी प्रक्रिया का पूर्ण रुप से अनुपालन न किये जाने के कारण दिया गया दंड दूषित है। जिसे विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद संशोधित/अपास्त कर सकती है।
अतः श्री क्यू फजली के अपीलीय प्रकरण में हुये बिलम्ब को देखते हुये न्याय हित में अपील का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए।

भवदीय

नीरज चौबे
अधिवक्ता

Office :- THE LAW FIRM (Advocates & Solicitors), Near Mission School, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) Pin- 495001
E-mail- nrjchoubey@gmail.com and nrj_choubey@rediffmail.com

विषय क्रमांक .....

छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक महाविद्यालयीन विकास परिषद के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जैविकी की सेवाए एक वर्ष वृध्दि करने के संबंध में विचार करना।

कार्यालयीन आदेश क्रं.2537/स्था./सा.प्रशा./2013 दिनांक 06.06.2013 के द्वारा डॉ.विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर संविदा आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये नियुक्ति की गई थी।

उपरोक्त आदेशानुसार डॉ.राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने दिनांक 06.06.2013 को संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर पदभार ग्रहण किये है। तद्नुसार इनकी एक वर्ष की अवधि दिनांक 05.06.2014 को पूर्ण हो रही है।

ज्ञात हो कि संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद का पद दिनांक 06.06.2014 से आगामी एक वर्ष के लिये संविदा से भरा जाना नितांत आवश्यक है, ताकि विश्वविद्यालय के इस विभाग का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को पुनः दिनांक 06.06.2014 से आगामी एक वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्ति प्रदाय किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 में विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत।

विषय क्रमांक ....

डॉ. एस.के. सिंह, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा मैट्स विश्वविद्यालय के कुलपति पद से त्यागपत्र देकर सांख्यिकी अध्ययनशाला में प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबंधी :

कार्यपरिषद के आदेशानुसार डॉ. एस.के. सिंह, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप पदभार ग्रहण करने हेतु इन्हें दिनांक 01.12.2012 पूर्वान्ह में भारमुक्त किया गया था।

डॉ. एस.के. सिंह द्वारा दिनांक 22.04.2014 को पत्र प्रेषित करते हुये यह जानकारी दिये है कि उनके द्वारा दिनांक 01.12.2012 को मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति के पद पर पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि- उनके द्वारा दिनांक 21.04.2014 अपरान्ह में मैट्स विश्वविद्यालय के कुलपति पद से त्यागपत्र दे दिया गया है एवं दिनांक 22.04.2014 को इस विश्वविद्यालय के सांख्यिकी अध्ययनशाला में प्रोफेसर के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः प्रकरण कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 में सूचनार्थ प्रस्तुत।

To

The Registrar

Pt. Ravishankar Shukla University

Raipur (C.G.)

Subject : Joining in the post of Professor.

Reference : Your letter no. 7209/Gen.Admn./12 dated 30/11/2012

Sir ,

With reference to your letter cited above , I had joined MATS ,University ,Raipur (C.G.) on forenoon of Dec. 1st ,2012 as Vice-Chancellor. I have resigned from the post of Vice-Chancellor, MATS University in the afternoon of 21/4/14 .Today I am joining my duties in the University. This is for your information and needful action.

With regards,

(Dr. S.K.Singh)

Prof.S.O.S. in Statistics

Pt. Ravi Shankar Shukla UNIVERSITY

&

Ex. Vice Chancellor

MATS University , Raipur

विषय क्रमांक.............

श्री रूपेश कुमार शर्मा, उपयंत्री (अनिवार्य सेवानिवृत्त) के प्रकरण, प्राप्त विधिक अभिमत उपरांत विचारार्थ।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.03.2014 में विषय क्रमांक 10 पर श्री रूपेश कुमार शर्मा, उपयंत्री (अनिवार्य सेवानिवृत्त) के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में कार्यालयीन टीप पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के प्रत्येक बिन्दुओं का विश्वविद्यालय परिनियम 31 के प्रावधानानुसार परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही के लिये विधिक सलाह प्राप्त की जावे।

माननीय कार्यपरिषद के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण पर विधिक अभिमत हेतु माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से विधिक अभिमत हेतु प्रकरण भेजा गया था।

श्री निरज चौबे द्वारा दिनांक 06.04.2014 को पत्र प्रेषित करते हुये प्रकरण में दिये गये विधिक अभिमत में दी गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

(1) विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय जांच में आरोप सही पाये जाने के कारण उन्हें दण्डित करने के पूर्व दिये गये एक अवसर से संबंधित पत्र क्रमांक/7605/सा.प्रशा./2013 दिनांक 07.12.2013 की वैधानिकता बाबत।

इस प्रकरण में अनुशासिक प्राधिकारी के द्वारा अपचारी सेवक पर सभी कदाचरण के आरोप सिद्ध पाये जाने के बावजूद भी दिनांक 07.12.2013 को एक स्वर्णिम अवसर अपचारी सेवक को अपने आचरण एवं व्यवहार में सुधार लाने हेतु प्रदान किया गया था। जिसका लाभ लेने में अपचारी असफल रहा। चूँकि उक्त अवसर न तो कोई शास्ति है और न ही विधि में अनुशासिक प्राधिकारी को इस प्रकार का निष्कर्ष/निर्णय लेने से विरत किया गया है। यह तो एक अतिरिक्त स्वर्णिम अवसर था जिसका वर्णन विधि में भी नहीं है।

अतः इससे अनुशासिक अधिकारी की सद्भावना एवं उदारता ही प्रकट होती है।

उपरोक्त की स्थिति में, मेरा अभिमत यह है कि विश्वविद्यालय का पत्र दिनांक 07.12.2013 को किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है।

(2) प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उन्हें दिये गये अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड की वैधानिकता बाबत।

इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि, आनुशासिक प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकारी है कि वह छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं विश्वविद्यालय परिनियम 31 में उल्लेखित कोई भी विवेकपूर्ण शास्ति आरोपित कर सकता है। शास्ति आरोपित करने के पूर्व मात्र यह देखा जाना है कि क्या नियमों में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, और यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किन्हीं उपबन्धों का अतिक्रमण हुआ अथवा न्याय विफल हुआ। उपरोक्त कसौटी के आधार पर ही दण्ड की वैधानिकता देखी जाती है।

अतः इस प्रकरण में जाँच अधिकारी के द्वारा नैसर्गिक न्याय की सभी अपेक्षाएं पूर्ण करते हुये जांच सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 से 16 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण की है। जिसके पश्चात आनुशासिक अधिकारी के द्वारा सद्भावना पूर्वक मात्र मानवीयता के आधार पर अपचारी सेवक पर उदारतापूर्वक अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित किया गया है। जो कि प्रभावशील विधि के तहत लिया गया वैधानिक निर्णय है।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें पेंशन, उपादान एवं अन्य लाभ की पात्रता संबंधी वैधानिक स्थिति बाबत।

चूँकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अपचारी सेवक को दण्ड स्वरूप अधिरोपित की जा रही है अतः अपचारी सेवक को पूर्ण रूप से, पेंशन एवं उपादान पाने की पात्रता नहीं होती है। सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 37 में यह उपबंध किया गया है कि- ''शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य सेवा निवृत्त सेवक को, वैसी शास्ति अधिरोपित करने वाले अनुशासिक अधिकारी द्वारा, पेंशन अथवा उपादान अथवा दोनों, दो-तिहाई से कम नहीं, की दर से स्वीकृत किये जा सकेंगे''।

उक्त नियम में दिये गये प्रतिबंध के प्रकाश में, यह अनुशासिक अधिकारी के विवेक पर निर्भर है कि वह मात्रा तक पेंशन एवं उपादान अपचारी सेवक को दे।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 में विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत।

F:/SahuSir/Letter/426

NEERAJ CHOUBEY advocate
(Advocate)
Chhattisgarh High Court code- 1546

Resident :- Mahamaya Vihar Colony , Left street No 3, Ware house Road, Bilaspur (C.G),
Cell Phone No. (O) 9893407057, 8109987121 (R)

दिनांक 06.04.2014

श्री रुपेश कुमार शर्मा के प्रकरण में विधिक अभिमत

विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकरण में उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री रुपेश कुमार शर्मा के विरुद्ध नियमित विभागीय जांच परिनियम –31 एवं सिविल सेवा {वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील} नियम 1966 के अनुसार प्रारम्भ की थी जिसमें गम्भीर कदाचरण के आरोप सिद्ध पाये गये है। अतः विश्वविद्यालय परिनियम – 31, सिविल सेवा {वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील} नियम 1966 एवं सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के आधार पर, विश्वविद्यालय के द्वारा चाहे गये बिन्दुओं पर मेरा अभिमत निम्नानुसार है–

1. विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय जांच में आरोप सही पाये जाने के कारण उन्हें दण्डित करने के पूर्व दिये गये एक अवसर से संबंधित पत्र क्रमांक 7605/सा.प्रशा./2013 दिनांक 07.12.2013 की वैधानिकता ?

अभिमत –

छ0ग0 सिविल सेवा {वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील} नियम 1966 एवं वि0 वि0 परिनियम 31 के प्रकाश में, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, विभागीय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुशासिक प्राधिकारी, समस्त आरोप–पदों या किसी भी आरोप पदों पर के अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, यदि यह राय रखता हो कि नियम 10 में उल्लेखित कोई भी शास्ति अपचारी सेवक पर अधिरोपित की जाये, तो नियम 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला सकारण आदेश देगा।

इस प्रकरण में आनुशासिक प्राधिकारी के द्वारा अपचारी सेवक पर सभी कदाचरण के आरोप सिद्ध पाये जाने के बावजूद भी दिनांक 07.12.2013 को

Office :- THE LAW FIRM (Advocates & Solicitors), Near Mission School, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) Pin- 495001
E-mail- nrjchoubey@gmail.com and nrj_choubey@rediffmail.com

NEERAJ CHOUBEY advocate
(Advocate)
Chhattisgarh High Court code- 1546
Resident :- Mahamaya Vihar Colony , Left street No 3, Ware house Road, Bilaspur (C.G),
Cell Phone No. (O) 9893407057, 8109987121 (R)

एक स्वर्णिम अवसर अपचारी सेवक को अपने आचरण एवं व्यवहार में सुधार लाने हेतु प्रदान किया गया था। जिसका लाभ लेने में अपचारी असफल रहा। चूँकि उक्त अवसर न तो कोई शास्ति है और न ही विधि में आनुशासिक प्राधिकारी को इस प्रकार का निष्कर्ष/निर्णय लेने से विरत किया गया है। यह तो एक अतिरिक्त स्वर्णिम अवसर था जिसका वर्णन विधि में भी नहीं है। अतः इससे अनुशासिक अधिकारी की सद्भावना एवं उदारता ही प्रकट होती है।

उपरोक्त की स्थिती में, मेरा अभिमत यह है कि, वि0 वि0 का पत्र दिनांक 07.12.2013 को किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है।

2. <u>प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उन्हें दिये गये अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड की वैधानिकता</u> ?

अभिमत –

प्रकरण के अध्ययन के पश्चात्, मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि, आनुशासिक प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार है कि वह, छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं वि0 वि0 परिनियम 31 में उल्लेखित कोई भी विवेकपूर्ण शास्ति आरोपित कर सकता है। शास्ति आरोपित करने के पूर्व मात्र यह देखा जाना है कि क्या नियमों में दी गई प्रकिया का अनुपालन किया गया है, और यदि नही तो क्या ऐसा अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरुप भारत के संविधान के किन्हीं उपबन्धों का अतिकमण हुआ अथवा न्याय विफल हुआ। उपरोक्त कसौटी के आधार पर ही दण्ड की वैधानिकता देखी जाती है।

अतः इस प्रकरण में जॉच अधिकारी के द्वारा नैसर्गिक न्याय की सभी अपेक्षाएँ पूर्ण करते हुये जॉच सिविल सेवा (वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 से 16 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार पूर्ण की है। जिसके पश्चात् आनुशासिक अधिकारी के द्वारा सद्भावना पूर्वक मात्र मानवीयता के आधार पर अपचारी सेवक पर उदारतापूर्वक अनिवार्य

Office :- THE LAW FIRM (Advocates & Solicitors), Near Mission School, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) Pin- 495001
E-mail- nrjchoubey@gmail.com and nrj_choubey@rediffmail.com

NEERAJ CHOUBEY advocate
(Advocate)
Chhattisgarh High Court code- 1546

Resident :- Mahamaya Vihar Colony , Left street No 3, Ware house Road, Bilaspur (C.G),
Cell Phone No. (O) 9893407057, 8109987121 (R)

सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित किया गया है। जो कि प्रभावशील विधि के तहत लिया गया वैधानिक निर्णय है।

3. <u>विश्वविद्यालय द्वारा दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें पेंशन, उपादान एवं अन्य लाभ की पात्रता संबंधी वैधानिक स्थिती–</u>

अभिमत –

चूँकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अपचारी सेवक को दण्ड स्वरुप अधिरोपित की जा रही है अतः अपचारी सेवक को पूर्ण रुप से, पेंशन एवं उपादान पाने की पात्रता नहीं होती है। सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 37 में यह उपबंध किया गया है कि,

" शास्ति के रुप में सेवा से अनिवार्य सेवा निवृत्त सेवक को, वैसी शास्ति अधिरोपित करने वाले अनुशासिक अधिकारी द्वारा , पेंशन अथवा उपादान अथवा दोनों, दो–तिहाई से कम नहीं, की दर से स्वीकृत किये जा सकेंगे"।

उक्त नियम में दिये गये प्रतिबंध के प्रकाश में, यह अनुशासिक अधिकारी के विवेक पर निर्भर है कि वह किस मात्रा तक पेंशन एवं उपादान अपचारी सेवक को दे। अनुशासिक अधिकारी भविष्य में अपचारी सेवक को प्रदान की जा रही पेंशन की राशि में वृद्धि करने के साथ ही रोकी गयी शेष उपादान की राशि भी प्रदाय कर सकता है। अतः यह निर्णय पूर्णतः अनुशासिक अधिकारी के विवेक पर निर्भर है, प्रकरण की गंभीरता, अपचारी सेवक के सिद्ध कदाचरण एवं विभागीय कार्यवाही के दौरान एवं पश्चात् अपचारी सेवक के कार्य एवं आचरण के संबंध में नस्ती में साक्ष्य उपलब्ध है। जिसके आधार पर एवं सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 37 के प्रकाश में अनुशासिक अधिकारी पेंशन एवं उपादान के संबंध में युक्तियुक्त रुप से विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है।

भवदीय
नीरज चौबे
अधिवक्ता

Office :- THE LAW FIRM (Advocates & Solicitors), Near Mission School, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) Pin- 495001
E-mail- nrjchoubey@gmail.com and nrj_choubey@rediffmail.com

(इ) अन्य प्रासंगिक एवं व्यय की जानकारी – कुल राशि : आवश्यकतानुसार।

(फ) उक्त व्यय की व्यवस्था के लिए आय के स्त्रोतों की जानकारी : शासन मद, UGC एवं जनभागीदारी

(त) यदि महाविद्यालय में पूर्व में पाठ्यक्रम संचालित थे, तो तीन वर्ष के पाठ्यक्रमवार परीक्षाफल/प्रतिशत : —

6. प्रस्तावित विषय व्यावसायिक पाठ्यक्रम है अथवा सामान्य ? : सामान्य

7. शोध केन्द्र संचालन के लिए विभिन्न उपलब्ध सुविधाओं की पर्याप्तता एवं अपर्याप्तता के संबंध में निरीक्षण समिति की टीप – : —

सभी जानकारियाँ पूर्णतः संतोषजनक हैं। शास. स्व. महा० के हिन्दी-विभाग को शोध-केन्द्र के रूप में मान्यता देने की अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षकों के हस्ताक्षर – पूरा नाम एवं पता

1. (हस्ताक्षर) (विषय विशेषज्ञ) 14.9.13
डॉ. आभा तिवारी
प्रा. एवं विभागाध्यक्ष
हिन्दी विभाग
शा. दू. ब. म. स्ना. महावि.
रायपुर –

2. (हस्ताक्षर) 14.9.13
डॉ० शीला अग्रवाल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
हिन्दी – विभाग
शास. वि. या. ता. स्ना. स्व. महा. दुर्ग

3. ....

हिन्दी शोध उपाधि समिति की अनुशंसा

(21) लोकेश कुमार –
शोध शीर्षक के संशोधित रूप – " डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र के काव्य में युगीन युगीन संदर्भ एवं दर्शन का अनुशीलन " किया जाता है। वर्तमान स्वरूप में Synopsis मान्य किये जाने योग्य नहीं है। शीर्षक के अनुरूप संपूर्ण रूपरेखा संशोधित कर प्रस्तुत करने पर बाह्य विशेषज्ञ से अभिमत लिया जावे तथा अनुमोदन पश्चात ही पंजीयन आदेश प्रसारित किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधित रूपरेखा प्राप्त होने पर अध्यक्ष, SoS एवं अध्यक्ष, BoS से अभिमत लिया जावे तथा अनुमोदन उपरांत ही पंजीयन आदेश प्रसारित किया जावे।

शोध निर्देशक की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया गया –

(1) डॉ. सुधीर शर्मा, सहा० प्रा०, कल्याण महाविद्यालय, भिलाई एवं डॉ. रमेश अनुपम, सहा० प्रा०, शास. दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर दोनों ही आवेदक अध्यादेश-45 की कंडिका 9.III की अर्हता पूर्ण करते हैं। अतः शोध निर्देशक की मान्यता प्रदान की जाती है।

(2) शोधकेन्द्र की मान्यता विषयक – शास. जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा को शोध केन्द्र की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन पर नियमानुसार निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण उपरांत प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विनियम-107 की कंडिका-7 के प्रावधानानुसार शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

[signature]
(डॉ. शैल शर्मा)
Head SoS

[signature] 13
(डॉ. शीला अग्रवाल)
अध्यक्ष BoS

[signature]
(डॉ. एम. एम. कडु)
बाह्य विशेषज्ञ

[signature]
(डॉ. एस. के. पाण्डेय)
VC

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 10390 /अका./2013 रायपुर, दिनांक : 4 /05/2013

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.04.2013 के कार्यवृत्त (विषय क्रमांक 14 में Revised Regulation No. 107, [Recognition of the Research Centers]) कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.04.2013 के विषय सूची क्रमांक 4 में अनुमोदन हुआ है, जो निम्नांकित है –

Revised Regulation No. 107
(E.C. Under 23-04-2013)
[Recognition of the Research Centers]

The regulation is meant for the recognition of the research centre. The Institution/College who desires to have a research centre should essentially fulfill the following criteria:

1. The Principal of the affiliated College or the Head of the institution have to apply in the prescribed format to the University for the Recognition of a research centre in the concerned subject.
2. The application for the recognition of a research center can be made round the year with an affiliation fee prescribed by the University from time to time. The annual fee for the research centre will be levied as specified by the University.
3. Only Colleges qualifying the following criteria can apply for recognition of a research centre in a subject:
   a. The College is accredited by the National Assessment and Accredited Council (NAAC). The existing Colleges with research Centers should get NAAC accreditation in order to continue the research centre in the subjects.
   b. The College is running the Post Graduate course in the subject since last 5 years and has acquired permanent affiliation from the University.
   c. The faculty strength in the subject in which recognition is sought is not less than five with at least one Professor and a minimum of two faculty possessing Ph. D. degree in the concerned subject.
   d. The College has a well equipped library and adequate number of books in the subject for research and with subscription of five Indian and at least two International Journals (with ISSN number) in the concerned subject since last three years.
   e. In case of research centre in the science subject, an adequate space in the form of laboratory is mandatory. The Laboratory should be well equipped with all basic research instruments in working order. Besides, it should also have specific research equipments.
   f. A minimum of three computer sets with internet facility in the department is essential for the research students.
   g. The Principal/ Institutional Head of the recognized research centre will maintain a proper record of the attendance of all the research scholars registered at the centre and would authenticate and forward the same regularly with six monthly progress report to the University.
4. Nationally recognized Institutions will not be required to apply separately for recognition for a research centre. They need to have a formal approval from the Research Degree Committee of the concerned subject of the University by making a formal request.

5. A Committee of the following will inspect the College/Institution on receipt of the application for recognition of a research centre. The expenditure on inspection will be borne by the applicant institution:
   (a) Dean (from the relevant Faculty)
   (b) Chairman, Board of Studies of the Concerned Subject
   (c) a subject Expert not less than University Professor/ College Professor in the rank, nominated by the Vice-Chancellor
6. The three member Committee would inspect the applicant institution/College for the facilities/eligibility with number of seats and submit its report with the recommendation within a fortnight from the date of inspection to the Registrar of the University based on the criterion as laid down earlier at para 3.
7. The report of the Committee will be presented at the RDC of the concerned subject for approval.
8. After the approval from RDC, the matter would be placed in Executive Council for recognition of the Research Centre, and if approved by the EC, the research Centre recognition would be granted to the College/Institution.
9. The recognized Research Centre shall be entitled to collect the prescribed fees from the research Scholars enrolled at its centre as laid down in the Ph. D. Ordinance of the University.
10. Recognized research centers will ensure all the basic facilities to the research Scholars registered at their Centers.
11. In case of any complaint against the research centre, the University will review the recognition status of the research centre and if found true the recognition will be withdrawn with immediate effect.
12. Every research centre will provide the details of the enrolled students annually to the University at the end of academic year or whenever asked.
13. In case no student is registered at a recognized research Centre in last five years, the recognition will be withdrawn and such centers have to apply afresh for recognition.
14. The university will review every five year the facilities at each recognized research center and if not found up to the mark, the recognition will be withdrawn from such centers.
15. Those institution that were denied recognition earlier has to apply afresh as per the revised regulation for recognition of the research center.
16. In case the guide(s) at a recognized research Centre superannuate(s) or is/ are transferred from the research Centre, it shall be the duty of the Principal/ Head of the Institution to maintain the record of the attendance of the research scholar working at the research Centre and provide it to the University whenever needed.

Prescribed Format for the Recognition of a Research Centre

1. Name of the College/Institution:
2. Website of the College:
3. Date of Establishment:
4. Date of NAAC accreditation and Grade:
5. Status of the College: Government/ Autonomous/ Private
6. Whether the College is receiving Grant from UGC/ State Government or not?
7. Details of PG Courses in the College and year of start:
8. Total number of students in PG Classes/ Teachers Subject-wise:
9. Subject, for which recognition is sought and year of start of PG Classes:
10. Number of students enrolled in the PG Class in the subject in last three years (year-wise):

.....3

11. Total Faculty members/ Officers in the College:
12. Number of Recognized Guide in the College subject-wise:
    (Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor)
13. Name of Recognized Guide in the subject where recognition is requested:
    (Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor)
14. Library facility (Append list of Books/ Journals):
15. Number of Books/ Journals in the concerned Subject (Append list):
16. Laboratory facility (Number/ Area):
17. List of Equipment in the Laboratory:
18. Computer/Internet facility:
19. Details of Recognition Fees Paid:
20. Any other Relevant Information:

Based on the above information, we apply for recognition of research Centre in ..... and assures the University that in case the recognition is granted to the College, we will abide by the rules and regulations as laid by the University.

Signature of the Principal/ Head/ Director

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 10391 /अका./2013 रायपुर, दिनांक : 4 /05/2013

प्रतिलिपि :

01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
03. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
    पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4/5/13

प्रभारी अधिकारी (अका.)

D:/ shi 08/tikaram08/466

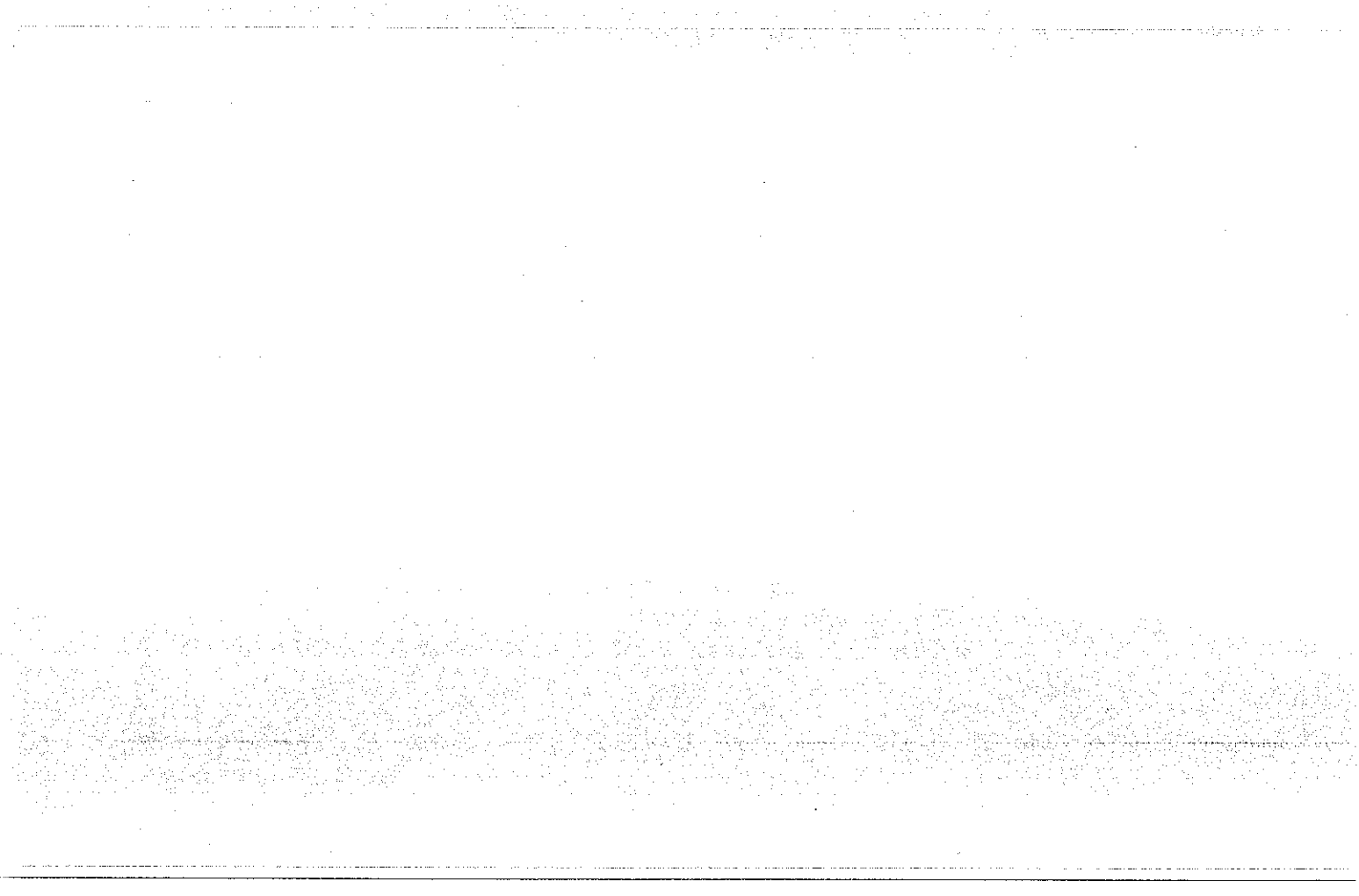

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत निम्नलिखित स्वशासी महाविद्यालय हैं :–

1. शासकीय नागार्जुन स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
2. शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर
3. शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, रायपुर
4. शासकीय व्ही.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
5. कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर, जिला–दुर्ग
6. शासकीय जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर

उपरोक्त महाविद्यालयों में से प्रथम पांच महाविद्यालयों का निरंतरता अवधि 30.06.2013 के समाप्ति के उपरांत स्वशासी निरंतरता के लिए गठित रिव्यू कमेटी के द्वारा निरीक्षण करवाकर प्रतिवेदन यू.जी.सी. को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर, जिला–दुर्ग एवं शासकीय व्ही.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग यू.जी.सी. के द्वारा स्वशासी निरंतरता हेतु निरीक्षण समिति गठित कर दी गई है।

शासकीय जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर की निरंतरता अवधि 30.06.2014 को समाप्त हो रही है, जिसके लिए रिव्यू कमेटी के द्वारा निरीक्षण करवाकर प्रतिवेदन यू.जी.सी. को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

पूर्व में यू.जी.सी. द्वारा प्रथम पांच महाविद्यालयों को सत्र 2012.–13 तक के लिए स्वशासी निरंतरता प्रदान की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ महाविद्यालय को सितम्बर 1998 तक स्वशासी निरंतरता स्वीकृत की गई है।

छत्तीसगढ़ महाविद्यालय ने मौखिक रूप से, स्वायत्तता स्वशासी निरंतरता आदेश पूर्व में प्रसारित आदेश क्रमांक 6433/अका./2009 दिनांक 16.06.2009 के अनुसार प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया है।

Encl – 2

दूरभाष PHONE कार्यालय OFF : 011-23231270
फैक्स FAX : 011-23231291
E-mail : dev@ugc.ac.in

अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110 002 (भारत)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002 (INDIA)

BY SPEED POST

AC)

December, 2007

ar Shukla University,

nsion of Autonomous Status to the colleges of Pt. Ravi Shankar Shukla University, ur.

s has reference to the recommendations of the University vide its letter No. Endt No. /287/06 0-2006 and simultaneous concurrence given by the State Government vide its letter 04/2006/38 dated 14-11-2006, as per the decision of the Commission taken at its meeting held une 2006 revising the guidelines particularly for extension of autonomous status to existing us colleges whereby *"A Joint Expert Committee consisting of two representatives each from the university and the concerned State Government and three representatives from the UGC out of e shall be the Convener of the Committee to examine the proposal of the colleges for extension of ous status after completion of first and subsequent tenures of autonomy"* I am pleased to inform that mission at its meeting held on 30-11-2007 considered the reports of Joint UGC Review Expert ttee. Based on the recommendation of the Joint Expert Review Committee, the Commission has ed its ex-post facto approval and extension for continuation of Autonomous Status for the period ned against each as under:-

	Name of the College	Dates of visits	Autonomy valid upto	Period of ex-post –facto approval	Approval for further Extension and continuation of Autonomous status from the academic years
1.	Government College of Science, G.E. Road, Raipur-492010	10th September, 2007	1992-1993	1993-2007	2007-2008 to 2012-2013
2.	Government D.B. Girls P.G College, Raipur-492001(C.G)	11th September, 2007	1992-1993	1993-2007	2007-2008 to 2012-2013
3.	Kalyan Arts and Commerce College, Sector-7, Bhilainagar-490006 (C.G)	12th September, 2007	1992-1993	1993-2007	2007-2008 to 2012-2013

Contd..2/-

The Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur (C.G) may now go ahead and issue necessary letters in this regard by endorsing a copy of the same to this office for our records. The admissible grant under the scheme will be released to these Colleges as per its eligibility, according to the norms as laid down in the Xth Plan Guidelines, by the Education Officer, UGC Central Regional office, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016(M.P)

Yours faithfully,

(Dev Swarup)
Joint Secretary

OFFICE OF THE DIRECTOR COLLEGE DEVELOPMENT COUNCIL
PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR

NO./131 /DCDC/07

Copy to :-

RAIPUR, DT. 9 .1.2008

1. The Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Department of Higher Education Secretariat, Raipur (C.G.).
2. The Principals Govt. College of Science, Raipur/Govt. D.B. Girls P.G. College Raipur and Kalyan Arts & Commerce College, Sector-7, Bhilainagar (Autonomous Colleges) Distt. Durg (C.G.) for information & necessary action.
3. Secretary to Vice-Chancellor & P.A. to Registrar Pt. RSU Raipur for information.

10/1/08
DIRECTOR,
COLLEGE DEVELOPMENT COUNCIL

Baghel.

39
15/01/08

Off:- 011-23239200

UGC Website : www.ugc.ac.in

Rajesh Anand
Joint Secretary

ज्ञान-विज्ञानं
विमुक्तये

SPEED POST

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

No.F.22-1/2009(AC)

The Registrar,
Pt. Ravi Shankar Shukla University
Raipur-492010

November, 2009

18 NOV 2009

Sub:- **Extension of Autonomous Status to (1) Govt. Degree College, Jagdalpur Bastar. Chhatisgarh (2) Govt. Digvijay,Mahavidyalaya, Rajnandgaon, Chhatisgarh (3) Govt. V.Y.T. (PG) Autonomous College, Gurg (C.G.) - regarding.**

Sir,

I am pleased to inform that the Commission at its meeting held on **27th October, 2009**, considered the reports of Joint UGC Review Expert Committee. Based on the recommendation of the Joint Expert Review Committee, the Commission has accorded its ex-post facto approval and extension for continuation of Autonomous Status for the period mentioned as under:-

Sl. No.	Name of the College	Autonomy Valid	Approval for further Extension and continuation of Autonomous status from the academic years including Ex-Post-facto approval
1.	**Govt. Degree College, Jagdalpur Bastar. Chhatisgarh**	1992-1993	2010-2011 to 2012-2013
2.	**Govt. Digvijay,Mahavidyalaya, Rajnandgaon, Chhatisgarh**	1992-1993	2010-2011 to 2012-2013
3.	**Govt. V.Y.T. (PG) Autonomous College, Durg (C.G.)**	1992-1993	2010-2011 to 2012-2013

The **Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur-492010**, may now go ahead and issue necessary orders in this regard by endorsing a copy of the same to this office for our records. **The admissible grant under the scheme will be released to these Colleges as per its eligibility, according to the norms as laid down in the XIth Plan Guidelines, by the Education Officer, (Incharge) UGC, Cental Regional Office, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016(MP).**

Yours faithfully,

(Rajesh Anand)

P.T.O.

प्राचार्य
शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

29. Any other relevant details:

1. Awards of Rs. 1000.00 in session 2011-12 and Rs. 2000.00 in session 2012-13 was given by Autonomous department to the players of senior level representing the Chhattisgarh state in national level.

2. Publication of a national level Peer Reviewed Research Journal; "Research Fronts", with ISSN number has added a new feather in the institution.

3. For the faculties, two workshops on Research Methodology and two computer training programmes were organized for 15 days each on knowledge of computer and its application.

4. The Institution has four research centres approved by Pt. Ravishankar Shukla University, the Parent University. They are Hindi, Commerce, Economics, and Chemistry. The research centre in Geography is under process.

5. In Academic session 2011-12, 5 national level seminars and 3 state level workshops were organized.

6. To develop research culture, the college has framed a policy of granting Rs. 50,000; for three research proposals at a time; from Autonomous fund.

7. To inculcate research at PG level, too, students are involved in database research projects.

8. The College has got CPE status of the UGC, New Delhi. Under this scheme, UGC has sanctioned a special grant of Rs. 15 crores for excelling in the fields of teaching, learning, research and extension activitities. Its first installment has been utilized for providing additional facilities, eg. Teaching aids, audio-visual gadgets, computers and laboratory equipments in different departments. Apart from this, educational study tours too have organized by many departments for the first time in this history.

9. 67 students got placement during the campus interviews organized by different companies.

10. From NSS, one students named Kanti Lal Yadav participated in the International meet in Japan in 2011. He had also participated in the Delhi Republic Day Parade in 2011.

11. The College has an employment and training cell that prepares students by arranging coaching for written and interviews for competitive exams. It also organizes campus interviews by inviting reputed companies.

12. The department of Commerce has a well developed laboratory.

13. Botanical Garden has also been developed in the college.

प्राचार्य
शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

14. The college has 93 computers and 7 modems for internet facility, apart from LAN facility.

15. For effective classroom teaching, latest technology is being used by faculties like LCD Projector, Interactive Board, Advanced Lab Equipments, English Language Lab, E-Classroom etc.

16. To organize extension activity and guest lecture series is provided to all the departments by the Autonomous Fund.

17. The Proceedings and the research papers, presented during the National level seminars in Economics, History, Hindi, Geography and Commerce, organized by the college, have been published in book form by the Autonomous cell.

18. The department of Hindi has published a distinguished book named, "Chhattisgarhi Kahawate, Muhavare Awam Paheliyan – Rajnandgaon Jila ke Sandarbh Me", Which were collected by the students of M.A. Hindi.

19. The college has future plan to develop a central Lab.

Signature of Registrar of Affiliation University
(With Seal)

REGISTRAR
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (Chhattisgarh)

Signature of Principal
PRINCIPAL
GOVT. DIGVIJAY COLLEGE
RAJNANDGAON (C.G.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस समारोह
गुरूवार, दिनांक 01 मई 2014

भाग–I

समय	कार्यक्रम विवरण
9:30–9:40 A.M.	पं. रविशंकर शुक्ल की मूर्ति पर माल्यार्पण
9:40–9:50 A.M.	स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण
9:50–10:00 A.M.	पं. सुंदरलाल शर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण

भाग–II : प्रेक्षागृह

समय	कार्यक्रम विवरण
11:00–11:03 A.M.	राष्ट्रगान
	कुलगीत
11:03–11:04 A.M.	अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन
11:04–11:05 A.M.	माननीय राज्यपाल, मुख्य अतिथि, अतिविशिष्ट अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत्
11:05–11:10 A.M.	माननीय कुलपति द्वारा स्वागत भाषण
11:10–11:15 A.M.	विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपतियों, पूर्व कुलाधिसचिव एवं पूर्व कुलसचिवों का सम्मान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान
11:15–11:35 A.M.	विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर केन्द्रीय डाक विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती आवरण विमोचन
	विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित अर्द्धवार्षिक समाचार बुलेटिन "चित्रोत्पला" (**E-News Letter- "Chitrotpala"**) का विमोचन
	Journal of Pt. Ravishankar University, Part-B (Science) के विशेष अंक का विमोचन
	सत्र 2013 तक स्वर्ण पदक के लिए चयनित छात्र–छात्राओं को स्वर्ण पदक वितरण
	सर्वोत्तम वार्षिक प्रदर्शन **(Best Annual Performance)** में सर्वोच्च स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय अध्ययनशाला को डॉ. बाबू राम सक्सेना स्मृति रनिंग ट्रॉफी प्रदान करना
	सर्वोत्तम वार्षिक प्रदर्शन **(Best Annual Performance)** में सर्वोच्च स्थान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय को डॉ. बी.एल. पांडे स्मृति रनिंग ट्रॉफी प्रदान करना
	NAAC में **A**-ग्रेड प्राप्त शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय, दुर्ग को कुलपति ट्राफी प्रदान करना

	राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सत्र 2011–12 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत कार्यक्रम अधिकारी, महिला ईकाई – डॉ. मालती तिवारी, शासकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद का सम्मान
	राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सत्र 2012–13 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक – श्री कांतिलाल यादव, बी. ए. – 3 , शासकीय दिग्विजय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव का सम्मान
11:35–11:40 A.M.	विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति प्रो. एस. एम. अग्रवाल का उद्‌बोधन
11:40–12:10 P.M	मुख्य अतिथि प्रो. श्रीकुमार बेनर्जी का उद्‌बोधन
12:10–12:25 P.M.	माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय का उद्‌बोधन
12:25–12:26 P.M.	माननीय कुलपति द्वारा कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को स्मृति–चिन्ह भेंट
12:26–12:28 P.M	कुलसचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन
12:28–12:30 P.M.	राष्ट्रगान

भाग–III

समय	कार्यक्रम विवरण
12:30–1:00 P.M.	स्वर्ण जयंती के अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह वितरण
1:00–2:00 P.M.	सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति
2:00–2:30 P.M.	स्वल्पाहार